

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 108-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JUNE 22, 2017 (JYAISTHA 31, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जून, 2017

संख्या 25/एस.टी.—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
- संक्षिप्त नाम और

प्रारंभ

परिभाषाएं

- (2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19);
 - (ख) ''प्ररूप'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप
 - (ग) ''धारा'' से अभिप्राय है अधिनियम की धारा;
 - (घ) ''विशेष आर्थिक जोन'' का वही अर्थ होगा जो इसे विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में दिया गया है;
 - (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं।

अध्याय II संयोजन नियम

संयुक्त उद्ग्रहण के लिए सूचना 3. (1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनंतिम आधार पर रिजस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है जो धारा 10 के अधीन कर के भुगतान का विकल्प देता है, नियत दिन से पहले किन्तु उक्त दिन के पश्चात् या तीस दिन के अपश्चात् या ऐसी और अविध, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रोनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी—01 में इलैक्ट्रोनिक रूप से सूचना फाइल करेगा:

पंरतु जहां प्ररूप जीएसटी सीएमपी—01 में सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से कोई भी कर संगृहीत नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों के लिए पूर्ति का बिल जारी करेगा ।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी—01** के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर भुगतान करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा ।
- (3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया गया है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रोनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी—02 में सूचना फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से साठ दिन की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी—03 में विवरण देगा।
- (4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने के लिए उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल करता है, स्टाक के ब्यौरे, जिसके अतंर्गत उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प देता है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त उसके द्वारा धारित माल की आवक पूर्ति भी है, उस तारीख से, जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी—03 में देगा ।
- (5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्या पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के सभी अन्य स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।

संयुक्त उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख

- 4. (1) धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प उस वित्तीय वर्ष के, जब निमय 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है और वह नियत दिन जब उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, आरभ से प्रभावी होगा ।
- (2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा ।

संयुक्त उद्ग्रहण की शर्ते और निर्बधना

- 5. (1) धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :--
 - (क) वह न तो आकरिमक कराधेय व्यक्ति है और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति है;
 - (ख) जहां विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया गया है, वहां उसके द्वारा नियत दिन को स्टाक में धारित माल का अंतराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है या भारत से बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है;
 - (ग) उसके द्वारा स्टाक में धारित माल का किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से क्रय नहीं किया गया है और जहां क्रय किया गया है, वहां वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का भुगतान करता है;

- (घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का भूगतान करेगा ;
- (इ) वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10 की उपधारा (2) के खड (ड) के अधीन यथा अधिसूचित माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ है ;
- (च) वह, उसके द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर ''संयुक्त कराधेय व्यक्ति, पूर्तियों पर संगृहीत कर के लिए पात्र नहीं' शब्दों का उल्लेख करेगा ; और
- (छ) वह, उसके कारबार के मूल स्थान पर, प्रमुख स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर "संयुक्त कराधेय व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करेगा ।
- (2) धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई सूचना फाइल करना आवश्यक नहीं है और वह अधिनियम तथा इन नियमों, के उपबंधों के अध्यधीन उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करता रह सकेगा ।
- 6. (1) धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने के लिए किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता हैं।

संयुक्त उद्ग्रहण की विधिमान्यता

- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उस दिन से, जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा और उसके पश्चात् की गई प्रत्येक कराधेय पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी सीएमपी—04 में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा ।
- (3) ऐसा रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पहले सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी—04 मे आवेदन फाइल करेगा।
- (4) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह प्ररूप जीएसटी सीएमपी—05 में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर भुगतान का विकल्प क्यों ने इंकार कर दिया जाए ।
- (5) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाले नोटिस के प्ररूप जीएसटी सीएमपी—06 में उत्तर की प्राप्ति पर, समुचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या तो विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए या कर भुगतान करने के विकल्प को इन्कार करते हुए प्ररूप जीएसटी सीएमपी—07 में आदेश जारी करेगा ।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी—07 में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है, सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आईटीसी—01 में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या प्ररूप जीएसटी सीएमपी—07 में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या इनकार किया गया है, उसके द्वारा स्टाक में धारित इनपुटों के स्टाक और अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे।
- (7) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने के विकल्प के इनकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्या पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के अन्य सभी स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।

संयुक्त उद्ग्रहण के कर की दर

7. धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में विनिर्दिष्ट पात्र रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के प्रवर्ग धारा 10 के अधीन उक्त सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का भूगतान करेंगे :--

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
સહ્યા		
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	एक प्रतिशत
2	अनुसूची II के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले पूर्तिकार	ढाई प्रतिशत
3	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	आधा प्रतिशत

अध्याय III रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 8. (1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्त्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रिजस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है), रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 के भाग क में अपना स्थायी लेखा संख्या, मोबाइल नम्बर, ई—मेल पता, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र घोषित करेगा:

परंतु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई (इकाइयां) रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाइयों से भिन्न किसी कारबार शीर्ष के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक आवेदन करेगा :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा ।

- (2) (क) स्थायी लेखा संख्या को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा ।
 - (ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ; और
 - (ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई—मेल पते को उक्त ई—मेल पते पर भेजे गए एक पृथक वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।
- (3) स्थायी लेखा संख्या, मोबाइल नम्बर और ई—मेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्या सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई—मेल पते पर संसूचित किया जाएगा ।
- (4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित निर्देश संख्या का उपयोग करके इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 के भाग ख में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड़ के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्रारूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसुचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।
- (5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप **जीएसटी आरईजी—02** में, इलैक्ट्रानिक रूप से अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।
- (6) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्या दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी ।

9. (1) आवेदन समुचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाए जाते हैं, तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अविध के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा ।

आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन

- (2) जहाँ नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां समुचित अधिकारी उसके साथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की बाबत किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, तो वहां वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी—03 में इलैक्ट्रानिक रूप से नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी—04 में, इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा ।
- व्याख्या.— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्पष्टीकरण" पद के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्या, राज्य, मोबाइल नम्बर और ई—मेल पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी है ।
- (3) जहां आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दास्तावेजों से समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, तो वहां वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा ।
- (4) जहां उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहां समुचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, तो वहां वह लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी—05 में इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा ।
 - (5) यदि समुचित अधिकारी,
 - (क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर ;
 - (ख) उपनियम (2) अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्यवाई करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा ।

10. (1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहां आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (कें) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी—06 में सामान्य पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या निम्नलिखित वर्णों के अध्यधीन समनुदेशित किया जाएगा, अर्थात् :—

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

- (क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण ;
- (ख) स्थायी लेखा संख्या या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या के लिए दो वर्ण ;
- (ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ण ; और
- (घ) एक चैकसम वर्ण ।
- (2) जहां रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, तो वहां रिजस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रिजस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है ।
- (3) जहां आवेदक द्वारा, रिजस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रिजस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, तो वहां रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख होगी ।
- (4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र समुचित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा ।
- (5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, तो वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्या संसूचित की जाएगी और उपनियम (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अविध की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अविध के भीतर सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा ।

किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्षों के लिये पृथिक रजिस्ट्रीकरण

- 11. (1) किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्ष रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्ष में से किसी कारबार के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, तो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, प्रत्येक शीर्ष के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड (18) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार शीर्ष हैं :
 - (ख) किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार शीर्ष को धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्ष में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का भुगतान कर रहा है;
 - (ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक् रूप से रिजस्ट्रीकृत सभी कारबार शीर्ष, ऐसे व्यक्ति के दूसरे रिजस्ट्रीकृत कारबार शीर्ष को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे।
- व्याख्या.— खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार शीर्ष, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए अपात्र हो जाता है, तो वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार शीर्ष उक्त धारा के अधीन कर भुगतान के लिए अपात्र हो जाएंगे ।
- (2) कारबार शीर्षों के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक शीर्ष के संबंध में **प्ररूप जीएसटी आरईजी—01 में** पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।
- 12. (1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरईजी—07 में प्रस्तुत करेगा ।
- (2) समुचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् रिजस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी—06 में रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।
- (3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनूसरण में समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरईजी—06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, धारा 51 के अधीन स्त्रोत पर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है, तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण को उक्त व्यक्ति को इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी—08 में संसूचित किया जाएगा:

परंतु समूचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

13 (1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रिजस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी—09 में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा:

परंतु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार अस्तित्व की दशा में, रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर अस्तित्व की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है, या यदि उपलब्ध हैं, तो उसके स्थायी लेखा संख्या सहित प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति कि रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्या दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति उसके इलेक्ट्रानिक नकद खाते में इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी ।

स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना ।

अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना ।

- (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।
- (4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रिजस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो विधिमान्य स्थायी लेखा संख्या रखने वाला भारत में निवासी कोई व्यक्ति होगा ।
- 14. (1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रिजस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन सामूहिक या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी—10 में प्रस्तुत करेगा ।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, प्ररूप जीएसटी आरर्डजी—06 में प्रदान किया जाएगा ।
- 15. (1) जहां रजिस्ट्रीकृत आकिस्मक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के उसके आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण की अविध का विस्तार चाहता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी—11 में एक आवेदन साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर अभिस्वीकृत किया जाएगा ।
- 16. (1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में, समुचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया है, ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर रिजस्ट्रीकृत कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी—12 में एक आदेश जारी कर सकेगा ।
- (2) उप—नियम (1) के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा ।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप—िनयम (1) के अधीन अस्थायी रिजस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से नब्बे दिनों की अविध के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपबंधित प्ररूप और रीति में रिजस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां उक्त व्यक्ति अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विरूद्व अपील दाखिल करने में विफल हो जाता है, तो ऐसे मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, अपीलिय प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्व उठाने वाले आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

- (4) सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को लागू होंगे।
- (5) उप—नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान संख्या, उप—नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।
- 17. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 25 की उप—धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप जीएसटी आरइजी 13 में इलैक्ट्रानिक रूप में, सामान्य पोर्टल पर, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति में, सम्यक रूप से हस्ताक्षित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (2) समुचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरइजी—13 में एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप भरे जाने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर प्ररूप जीएसटी आरइजी—06 में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

भारत से बाहर किसी
स्थान से आनलाइन
सूचना और डाटाबेस
पहुंच या सुधार
सेवाओं की किसी
गैर कराधेय
आनलाइन प्राप्तिकर्ता
को पूर्ति करने वाले
किसी व्यक्ति को
रजिस्ट्रीकरण का
प्रदान किया जाना
आकरिसक कराधेय
व्यक्ति और अनिवासी

आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचालन की अवधि का विस्तार

अपने आप से रजिस्ट्रकरण

कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशन नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या को प्रदर्शित करना

रजिस्ट्रीकरण में संशोधन।

- 18. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके कारबार के मुख्य स्थान पर और ऐसे प्रत्येक कारबार के अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रमुख अवस्थिति पर उपदर्शित करेगा।
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके कारबार के प्रमुख स्थान और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रवेश स्थान पर प्रदर्शित नाम पटल पर माल और सेवा कर पहचान संख्या प्रदर्शित करेगा।
- 19. (1) रिजस्ट्रेशन के लिए प्ररूप जीएसटी आरइजी— 01 या प्ररूप जीएसटी आरइजी— 07 या प्ररूप जीएसटी आरइजी— 09 या प्ररूप जीएसटी आरइजी— 10 या प्ररूप जीएसटी आरइजी— 13 विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रिजस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय—समय पर यथा संशोधित कोई परिवर्तन है, रिजस्ट्रकृत व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरइजी— 14 में इलैक्ट्रोनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि (क) परिवर्तन निम्न से संबंधित है -

- (i) कारबार का विधिक नाम;
- (ii) कारबार के प्रमुख स्थान या कारबार के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता; या
- (iii) भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य के जोडने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, कारबार के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी है, —

धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का वांस्ट रद्दकरण नहीं होता तो समुचित अधिकारी सम्यक सत्यापन के पश्चात प्ररूप जीएसटी आरईजी 14 में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी 15 में एक आदेश जारी करेगा और ऐसा वारंटिग संशोधन की घटना घटने की तारीख से प्रभावी होगा;

- (ख) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में खंड(क) के उप—खंड (i) और उप—खंड (ii) से संबंधित परिर्वतन समान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सभी रिजस्ट्रीकरणों पर लागू होगा;
- (ग) खंड (ख) मे विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरइजी 14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा;
- (घ) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के गठन में कोई परिवर्तन होने पर उक्त व्यक्ति नये रिजस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरइजी—01 में आवेदन करेगाः

परन्तु यह और कि इस नियम, समय–समय पर यथासंशोधित, के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नम्बर या ई–मेल पते में कोई परिर्वतन, उक्त नियम के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आनलाईन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा ।

- (2) जहां समुचित अधिकारी की राय है कि उप—िनयम (1) में चाहा गया संशोधन या तो वारंटेड नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत हैं, तो वह प्ररूप जीएसटी आरइजी—14 में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरइजी—03 में सूचना तामील कर सकेगा, उक्त सूचना की तामील के सात कार्य दिवसों के भीतर रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उप—िनयम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए।
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप—िनयम (2) के अधीन कारण बताओ सूचना का प्रत्युतर उक्त सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आरइजी—04 में प्रस्तुत करेगा ।
- (4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषप्रद नहीं है या उप—िनयम (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युतर में, उप—िनयम (3) में विहित अविध के भीतर कोई प्रत्युतर नहीं दिया जाता, तो समुचित अधिकारी उप—िनयम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और प्रस्तप जीएसटी आरइजी—05 से आदेश पारित कर सकेगा ।

- (5) यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने मे विफल रहता है, तो -
 - (क) आवेदन प्रस्तृत करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर; या
 - (ख) उप—नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना के प्रत्युतर प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर,

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोंधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

20. कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यक्ति जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप—धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है, तो आवेदन प्ररूप जीएसटी आरइजी—16 में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपुट ब्यौरे या स्टाक में धारित अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूंजी माल, उस पर दायित्व ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे, यदि कोई हों, वारंट रद्दकरण की घटना घटित होने के तीस दिन की अविध के भीतर सामान्य पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगाः

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन, कराधेय व्यक्ति की दशा में, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख के एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है, स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

- 21. किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति
 - (क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता है; या
 - (ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या रसीद जारी करता है ।

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

22 (1) जहां समुचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रिजस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरइजी—17 में नोटिस जारी करेगा, ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अविध के भीतर कारण बताओं की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसका रिजस्ट्रीकरण रद्द किया जाए।

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

- (2) उप—नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं नोटिस का प्रत्युत्तर उक्त—नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरइजी—18** में प्रस्तुत करेगा ।
- (3) जहां व्यक्ति, जिसने उसके रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, रिजस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है या उसका रिजस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, समुचित अधिकारी, नियम 20 के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसा की मामला हो, उप—िनयम (1) के अधीन जारी कारण बताओं के प्रत्युत्तर की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरइजी—19 में आदेश जारी करेगा, रिजस्ट्रीकरण उसके द्वारा अवधारित और कराधेय व्यक्ति को अधिसूचित तारीख से, किसी कर, ब्याज या शास्ती जिसके अन्तर्गत धारा 29 की उप—धारा (5) के अधीन भूगतान के लिए दायी रकम भी है, के बकाया अदा करने का निदेश करते हुए रद्द करेगा।
- (4) जहां उप—नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद पाया जाता है, समुचित अधिकारी कार्यवाहियों को समाप्त करेगा और प्ररूप जीएसटी आरइजी—20 में एक आदेश पारित करेगा।
- (5) उप—नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मृत स्वत्वधारी, यदि आवेदन स्वंय स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, को लागू होंगे।
- 23. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर समुचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, प्ररूप जीएसटी आरइजी—21 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे समुचित अधिकारी को, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगाः

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा, यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती और कर के बकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निबंधनों में ब्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के संबंध में देय विलंब फीस के लिए देय रकम के साथ भुगतान नहीं की जाती ।

- (2) (क) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, कि रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है तो वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्रारूप जीएसटी आरइजी—22 में आदेश द्वारा रिजस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरित कर सकेगा ।
 - (ख) समुचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखब़द्ध किए जाए, उन परिस्थितियों से भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप जीएसटी आरइजी—05 के आदेश द्वारा, रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा ।
- (3) समुचित अधिकारी, उप—िनयम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पारित करने से पहले, आवेदक से यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओं कि क्यों न उप—िनयम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए प्ररूप जीएसटी आरइजी—23 में सूचना जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी आरइजी—24 में नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।
- (4) प्ररूप जीएसटी आरइजी—24 में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उप—नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति मे आवेदन का निपटान करेगा ।

विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रव्रजन

- (1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्त्रोत पर कर कटाने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत से भिन्न और आय—कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले, उनके ई—मेल पते और मोबाइल नम्बर के विधिमान्यकरण द्वारा सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से नामांकित किए जाएंगे ।
 - (ख) खंड (क) के अधीन नामांकित किए जाने पर, उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर और प्ररूप जीएसटी आरइजी—25 में उसमें माल और सेवा कर पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाप्रगा जो सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध होगा ।

परन्तु कराधेय व्यक्ति, जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधियों के अधीन बहु रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है, को इस अधिनियम के अधीन केवल एक अंनतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि व्यक्ति, जो वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय–5 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीयकृत रिजस्ट्रीकरण रखते हैं, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जहां वह विद्यमान विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत है, केवल एक अनंतिम रिजस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा ।

- (2) (क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उप—िनयम (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, इलैक्ट्रानिक रूप से, उक्त आवेदन में, आवेदन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रानिक सत्यापित कोड के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरइजी—26 में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगा ।
 - (ख) खंड (क) में चाही गई सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो इस आधार पर आयुक्त द्वारा बढ़ायी गई है, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी ।
 - (ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और विशिष्टियां समुचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पायी जाती है, तो प्ररूप जीएसटी आरइजी—06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (3) जहां उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां या सूचना यदि प्रस्तुत नहीं की गई है या सही अथवा पूर्ण नहीं पायी जाती, समुचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरइजी—27 में कारण बताओ नोटिस की तामील करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, उप—िनयम (1) के अधीन प्रदत्त अंनतिम रिजस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरइजी—28 में एक आदेश जारी करेगाः

परन्तु प्ररूप जीएसटी आरइजी — 27 में जारी कारण बताओं नोटिस प्ररूप जीएसटी आरइजी — 20 में आदेश जारी करके वापस ले सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है जिसके लिए नोटिस जारी किया गया था ।

- (4) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, वह विमुक्त किए जाने के तीस दिवस की अविध के भीतर, उसके विकल्प पर उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरइजी 29 में इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और समुचित अधिकारी, ऐसी जांच संचालित करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।
- 25. जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्ररूप जीएसटी आरइजी 30 में सामान्य पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अविध के भीतर अपलोड की जाएगी ।

कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन।

26 (1) सभी आवेदन, जिसके अन्तर्गत प्रत्युत्तर भी है, यदि कोई हो, सूचना, विवरणी जिसके अन्तर्गत जावक और आवक पूर्ति के ब्यौरे भी हैं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की किसी अन्य रीति के माध्यम से सत्यापित यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र या ई—हस्ताक्षर के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) उपबंधों के अधीन रिजस्ट्रीकृत, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

- (2) प्रत्येक दस्तावेज, जिसके अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तुत विवरणी भी है, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित की जाएगी —
 - (क) वैयक्तिक की दशा में वैयक्तिक स्वयं या जहां वह भारत से अनुपस्थित है उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से, और जहां वैयक्तिक उसके कार्यो को करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है उसके संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति दवारा:
 - (ख) हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में, कर्ता और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या उसके कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
 - (ग) कम्पनी की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
 - (घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसकी ओर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा;
 - (ड़) फर्म की दशा में, उसके भागीदारी द्वारा जो अवयस्क न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
 - (च) संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
 - च्यास की दशा में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;
 - (ज) अन्य व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो, या धारा 48 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।
- (3) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदेश समुचित अधिकारी द्वारा या सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदेशों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किया जाएगा।

अधिप्रमाणन का ढंग।

[नियम 3(1) देखें]

धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए प्रज्ञापना (संविरचना उदग्रहण)

(केवल नियत तिथि को विद्यमान प्रव्रजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1.	जीएसटीआईएन/अंनितम पहचान										
2.	विधिक नाम										
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो										
4.	4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता										
5.	5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रर्वग < निम्नलिखित में से चयन करें>										
	(i) सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे माल के विनिर्माताओ										
	(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय कर										
	(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता										
6.	वित्तीय वर्ष जिससे संरचना स्कीम के विकल्प का लिया गया	ा है		2017	17-18						
7.	अधिकारिता	केन्द्र	राज्य								
8. मैं घ	घोषणा – ोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर	के भुगतान के ि	नए विनिर्दिष्ट शर्तों अ	गौर निर्बंध	 धनों का पालन किया गया है।						
9.	सत्यापन मैं सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें			ोषणा क	रता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे						
				प्राधिकृत	न हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर						
	नाम										
स्था तिधि					पदनाम/प्रास्थिति						

[नियम 3(2) देखें]

धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए प्रज्ञापना (संविरचना उदग्रहण)

(अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यक्तियों के लिए)

1.	जीएसटीआईएन										
2.	विधिक नाम										
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो										
4.	कारबार के प्रमुख स्थान का पता										
5.	5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रर्वेग < निम्नलिखित में से चयन करें>										
	(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं										
	(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदाय										
	(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता										
6.	वित्तीय वर्ष जिससे संरचना स्कीम के विकल्प का लिया गया है										
7.	अधिकारिता	केन्द्र		राज्य							
8.	घोषणा – मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के भुगत	गन के लिए वि	ानिर्दिष्ट शर्तों और <u>र</u>	नेर्बधनों व	का पालन किया गया है।						
9.	सत्यापन										
	मैं सत्यिन सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छि			ता हूं कि	इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे						
			प्राधिकृत	न हस्ताक्ष	रकर्ता के हस्ताक्षर						
				न	ाम						
स्था	न :										
तिशि	भे :			पदनाम/	प्रास्थिति						

[नियम 3(4) देखें]

संविरचना उदग्रहण के विकल्प की तिथि को स्टॉक के ब्यौरों की प्रज्ञापना

		(कवल	। ।नयत ।त	ା ଅ	। ।वद्यमान	प्रश्नजना	রাঘ ক	্ সং	गन राजस्ट्राकृ	त व्य	।क्तया क	ालए)		
1. जीएस	टीआईएन													
2. विधिव	क्र नाम													
3. व्यापा	र का नाम, यदि कोई ह	हो												
4. कारब	ार के प्रमुख स्थान का	पता												
5. धारा 1	10 के अधीन कर भुग	तान के	लिए फाइ	ल वि	ज्ए गए आ	वेदन के ब्	यौरे	(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)						
								(
6. अधिव	मारिता नारिता							5	केन्द्र			राज्य		
7. विद्यमान	म विधि के अधीन रजि	स्ट्रीकृ	त व्यक्ति र	प्ते कि	र् गए क्रय	का स्टॉक								
क्रम संख्या	जीएसटीआईएन/ टीआईएन	प्रदार नाम	प्रदायकर्ता का नाम		बिल/ तिशि बीजक संख्या		थे	स्ट मूल	जिक्का च्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)		केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2		3		4		5		6		7	8	9	10
1														
2														
कुल योग														
8. विद्यमान	। । विधि के अधीन अर	— जिस्ट्री	 कृत व्यक्ति	त से वि	केए गए क्र	य का स्टॉ	क	I					<u> </u>	
क्रम संख्या	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम	पता			जक		ŧ	स्टॉक	क का मूल्य मूल विध कर			केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2		3		4			6		7		8	9	10
1														
2														
कुल योग														
9. संदत्त	कर के ब्यौर		विवरण				के	न्द्रीय	कर		राज्य व	कर⁄संघ राज्य	गक्षेत्र कर	
			रकम											
			विकलन	प्रवि	ष्ट संख्या									
10. सत्याप	<u></u> ग्न													
मैं	22 20 20										गा करता	ा हूं कि इस ^र	में ऊपर दी गई	
सूचना	मेरे सर्वोत्तम ज्ञान औ	रि विश	वास में स	त्य औ	रि सही है	और इसमें	कोई ब	बात वि	छेपाई नहीं ग	ई है।				
									प्राधिव	ृत हर	ताक्षरक	र्ता के हस्ता	तर	
											नाम			
स्थान चिकि												}orf		
तिथि										पद	नाम/प्रानि	स्थात		

[नियम 6(2) देखें]

संविरचना उदग्रहण से प्रत्याहण के लिए प्रज्ञापना/आवेदन

1.	जीएसटीआईएन									
2.	विधिक नाम									
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो									
4.	कारबार के प्रमुख स्थान का पता									
5.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवीग									
	(iv) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए ज भिन्न विनिर्माता	गाएं, विनिर्माताओं से								
	(v) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदा									
	(vi) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदाय									
6.	कारबार की प्रकृति									
7.	तिथि जिससे संविरचना स्कीम से प्रत्याहरण चाहा गया	मे	दिन मास वर्ष							
8.	अधिकारिता	केन्द्र	राज्य							
9.	संविरचना स्कीम से प्रत्याहण के कारण									
10.	10. सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।									
			प्राधि	कृत हस्ताक्षर		ाक्ष र				
स्था	न			नाम	I					
तिथि				पदनाम/प्र	स्थिति					

टिप्पण- उस तिथि से, जिससे **प्ररूप जीएसटी आइटीसी-01** में संविरचना विकल्प का प्रत्याहण किया गया है, पूर्ववर्ती तिथि को उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक विवरण दिया जा सकेगा।

[नियम 6(4) देखें)]

संदर्भ संख्या << >>	<< तिथि >>								
सेवा में									
जीएसटीआईएन									
नाम									
पता									
धारा 10 के अधीन कर भुगतान के विकल्प की प्रत्याख्यान के लिए									
मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन संरचना स्कीम के उपभोग के लिए आवश्यक शर्तों और निर्बंधनों का उल्लघंन किया है। अत: मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन भुगतान के विकल्प प्रत्याख्यान करता हूं।:-									
1									
2									
3									
? आपको इस नोटिस की तामील की तिथि से पंद्रह कार्यदिवसों के भीतर इस नोटिस का उत्तर देने का नि	देश दिया जाता है ।								
? आपको दिन/मास/वर्ष कोबजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है।									
यदि आप नियत तिथि के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तिथि और समय पर व्यक्तिगत स् मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।	नुवाई के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो								
	हस्ताक्षर								
	उचित अधिकारी का नाम								
	पदनाम								
स्थान	अधिकारिता								

[देखिये नियम 6(5)]

कारण बताओं नोटिस का उत्तर

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओं नोटिस के ब्यौरे	संदर्भ संख्या
		तिथि
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के प्रधान स्थान का पता	
6.	नोटिस का उत्तर	
7.	अपलोड किए गए दस्तावेजो की सूची	
8.	सत्यापन	मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।
		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
		तिथि
		स्थान

टिप्पण –

- 1. उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक् रूप से अपलोड किया जाए।
- 2. समर्थनकारी दस्तावेजों, यदि कोई हों, दस्तावेजों को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाए।

[देखिये नियम 6(6)]

संदर्भ संख्या << >>	<< तिथि >>
सेवा में	
जीएसटीआईएन	
नाम	
पता	
आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)	तिथि –
कारण बताओं नोटिस के उत्तर	को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश
	ारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तिथिके उत्तर रूप में पाया गया है और अत:, संविरचना स्कीम के अधीन कर भुगतान के विकल्प को
	या
	ारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तिथि के उत्तर रूप में नहीं पाया गया है और अत:, संविरचना स्कीम के अधीन कर भुगतान के विकल्प
	<< पाठ >>
	या
आपने कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर फाइल नहीं किय	r है; या
आप सुनवाई के लिए नियत तिथि को हाजिर नहीं हुए हैं।	
अत: निम्नलिखित कारणों से << तिथि >> से संविरचना स्कीम के अ	धीन आपके कर भुगतान के विकल्प का प्रत्याख्यान किया जाता है :
	<< पाठ >>
	हस्ताक्षर
	समुचित अधिकारी का नाम
तिथि	पदनाम
स्थान	अधिकारिता

जिला - 🗸

प्ररूप जीएसटी आरईजी -01

[देखिये नियम 8(1)]

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या विपर्यन सेवाओं का प्रदाय करने वाला कोई व्यक्ति)

भाग – क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र –

						*					
(i)	कारबार का विधिक नाम:										
	(यथाउल्लिखित स्थायी लेखा संख्या)										
(ii)	स्थायी लेखा संख्यांक :										
	(कारबार का स्थायी लेखा संख्यांक; भाग	ोदारी सम्	नुत्थान की दशा में व्यक्ति का स्था	ायी लेखा सं	ख्यांक प्रविष्ट करें)						
(iii)	ई-मेल पता :										
(iv)	मोबाइल संख्या :										
टिप्पण	– भाग-ख को भरने हेतु कार्रवाई से पूर्व ऊप्	ार दी गई	सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अ	मध्यधीन होग	<u>।</u> गि ।						
आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल संख्या और ई-मेल पता देना होगा।											
			भाग-ख								
1.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो										
2.	कारबार का गठन (समुचित का चयन करें)										
(i) स्वत्वधारी			? (ii) भागीदारी								
(iii) हिंदु अविभक्त कुटुम्ब			? (iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी								
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी			(vi)				?				
			सोसायटी/क्लब/न्यास/ व्यक्ति संगम								
(vii)₹	रकारी विभाग	?	(viii)	_ह सैक्टर उपक्रम	7						
(ix) 3	ासमिति कंपनी	?	(x) सीमित दायित्व भागीदारी								
(xi) ₹	थानीय प्राधिकारी	?	(xii)		कानूनी	निकाय	?				
(xiii)		?	(xiv) कंपनी (भारत में)		रजिस्ट्रि	कृत विदेशी	?				
(xv) 3	न्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?					?				
3.	राज्य का नाम			जिला		^					
4.	अधिकारिता		राज्य		केन्द् <u>र</u>						
		सैक्ट	सैक्टर, सर्कल, वार्ड, युनिट आदि								
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
5.	संविरचना के लिए विकल्प	हां	ं ? नहीं ?		1						

6.	संविरचना की घोषणा											
☐ विकल्प के ति	मैं यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में अधिनियम त्रेए नियमों का पालन किया गया है।	में विनिर्दिष्ट शर्तों उ	और निर्बधनों का या संवि	ग्रचना स्कीम के अधीन	। कर भुगतान के							
6.1 रजिस्ट्रि	कृत व्यक्ति का प्रवर्ग < चैकबॉक्स में चिन्हित करें>											
(i) ऐ	से माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जिसके	लिए विकल्प उपल	ब्ध नहीं हैं, विनिर्माताओ	ां से भिन्न विनिर्माता								
(ii) 3	नुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वार्त	ने प्रदायकर्ता										
(iii) सं	विरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता।											
7.	कारबार के प्रारंभ की तिथि		दिन/मास/वर्ष									
8.	तिथि जिसको रजिस्टर किए जाने का दायित्व उद्धत हुआ	दिन/मास/वर्ष										
9.	क्या आपने नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रिव आवेदन किया है	क्र ण के लिए	हां 🛚	नहीं 🛚								
10.	यदि क्रम संख्या 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो वह लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	अवधि जिसके	से दिन/मास/वर्ष									
11.	। यदि क्रम संख्या 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित प्रदायों और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व।											
क्रम संख्या	कर का प्रकार	आवर्त (रुपए में)		शुद्ध कर दायित्व (रु								
(i)	एकीकृत कर											
(ii)	केन्द्रीय कर											
(iii)	राज्य कर											
(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर											
(v)	उपकर											
	कुल योग											
	भुगतान के ब्यौरे											
	चालान पहचान संख्यांक	तिथि		रकम								
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्री आवेदन किया है ?	करण के लिए	हां 🛘	नहीं 🛚								
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें			∇								
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तिथि											
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम											
13.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रूप लिए आवेदन किया है ?	———— में रजिस्ट्रीकरण के	हां 🛚	नहीं 🗖								
	(i) विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के नाम का च	यन करें		∇								

	(ii) 3	अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तिथि								
	(iii) 3	अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम								
14.	रजिस्त्रि	ट्रकरण अभिप्राप्त करने कारण:								
	(i)	सीमारेखन	(viii)) दो या अधिक रजिस्ट्रिकृत व्यक्तियों का विलियन/सम						
	(ii)	अंतरराज्यिक प्रदाय	(ix)	इनपुट सेवा वितरक						
	(iii)	धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में कर भुगतान का दायित्व।	(x)	धारा 9(5) के अधीन कर भुगतान के लिए दायी व्यक्ति						
	(iv)	ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के स्वामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरीति रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi)	ई-कार्मस पोर्टल के माध् व्यक्ति	यम से प्रदाय करने वाला कराधेय					
	(v)	स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii)	स्वैच्छिक आधार						
	(vi)	निर्विलयन	(xiii)	अन्य कराधेय व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर से माल और/या सेवाएं प्रदान करने) वाले व्यक्ति						
	(vii)	कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv)) अन्य (जो ऊपर नहीं आते हैं) – विनिर्दिष्ट करें						
15.	विद्यम	ान रजिस्ट्रिकरण उपदर्शित करें जहां कहीं लागू हों।								
मूल्य वर्धित	कर के अ	नधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक								
केन्द्रीय विक्र	य कर रजि	जेस्ट्रीकरण संख्यांक								
प्रवेश कर रि	जेस्ट्रीकरण	ग संख्यांक								
मनोरंजन कर	रजिस्ट्रीव	करण संख्यांक								
होटल और र्	विलासित	ा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक								
केन्द्रीय उत्पा	ाद-शुल्क	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक								
सेवा-कर रजि	जस्ट्रीकरण -	ा संख्यांक								
कारपोरेट पह	चान संख	यांक/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक								
सीमित दायि पहचान संख्य		द्वारी पहचान संख्यांक/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी								
आयातकर्ता/	/निर्यातक	र्ता कोड संख्यांक								
चिकित्सीय र रजिस्ट्रीकरण		धन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम के अधीन :								
दुकानों और	संस्थापन	अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक								
अस्थायी पह	चान, यव <u>ि</u>	दे कोई हो								
अन्य (कृपया	—— ा विनिर्दिष	<u></u> प्ट करें)								

16.	(क) कारब	ार के मुख	व्य स्थान	का पता													
भवन संख्य	या /फ्लैट संख्य	ग						मंजिल संख्या									
परिसर/भव	ान का नाम							सड़क/गली									
शहर/कस्ब	ग/परिक्षेत्र/गांव	Ī						जिला									
तालुक/ब्ल	ॉ क																
राज्य								पिन व	गेड								
अक्षांतर							देशांत	र									
(ख) संपर्क सूचना																	
कार्यालय ई-मेल पता कार्याल						कार्यालय	दूरभाष र	पंख्या			एसटीडी						
मोबाईल स	मोबाईल संख्या					कार्यालय	फैक्स सं	ख्या			एसटीडी						
(ग) परिसर की प्रकृति																	
स्वा	मित्व		पट्टा किराए पर			पर	सहमति हिर			हिस्सं	स्सेदार अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट			विष्ट व	करें)		
(ঘ) ক্র	पर वर्णित परिस	पर पर कि	ए जा रहे	हे कारबार	के क्रियाकल	ापों व	की प्रकृति (र	नो लागू ह	हों कृपया	उन्हें वि	चेन्हित	करें)					
फैक्टरी/वि	निर्माण			?	थोक कार	बार		?	? खुदरा कारबार			ार				?)
भांडागार/ि	डेपो			?	बंधित भां	डागाः	τ	?		सेवाओं के प्रदायकर्ता				?)		
कार्यालय/	विक्रय कार्याल	न य		?	पट्टा कारब	ार		?		माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता			f		?	,	
ईओयू/एस	टीपी/ईएचटीप	fì		?	संकर्म संवि	वंदा		?		निर्यात	Γ					?)
आयात				?	अन्य (कृप करें)	ाया वि	वेनिर्दिष्ट	?									
17. बैंक	खाता (खातों) का ब्यौ	रा						L								
कारबार च	ालाने के लिए	आवेदक	द्वारा रख	वे गए बैंक	वातों की कु	ल सं	ख्या										
(10 बैंक	खातों तक की	रिपोर्ट दी	जाए)														
बैंक खाता	1 का ब्यौरा																
खाता संख	त्र्या																
खाते का प्र	प्रकार							आईएफएससी									
बैंक का न	<u></u> тम																
शाखा का	पता		ऑटो प	गेपुलेटड	द्वारा किया जा	ए (स	ांपादित विधि	ম)									

टिप्पण .– और अधिक खातों को जोड़ें -----

18. कारबा	18. कारबार द्वारा प्रदायित माल का ब्यौरा					
कृपया 5 उ	च्च श्रेणी के माल को विनिर्दिष्ट करें					
क्रम संख्या	माल का विवरण			एचएसएन कोड (चार अंको में)		
(i)						
(ii)						
(v)						
19. कारबा	र द्वारा प्रदायित सेवाओं का ब्यौरा।					
कृपया 5	उच्च श्रेणी की सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें					
क्रम संख्या	सेवओं का विवरण		एचएसएन कोड (चार अंको में)			
(i)						
(ii)						
(v)						
20. कारबा	ार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का ब्यौरा					
अतिरिक्त स्थानों की संख्या						
परिसर 1						
(क) कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा						
भवन संख	वन संख्या /फ्लैट संख्या			तल संख्या		
परिसर/भवन का नाम				सड़क/गली		
शहर/नगर/परिक्षेत्र/गांव				जिला		

भवन संख्या /फ्लैट संख्या		तल संख्या		
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली		
शहर/नगर/परिक्षेत्र/गांव		जिला		
ब्लॉक/तालुक				
राज्य		पिन कोड		
अक्षांश		देशांतर		
(ख) संपर्क सूचना		·		
कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय	कार्यालय दूरभाष संख्या		
मोबाईल संख्या	कार्यालय	कार्यालय फैक्स संख्या एसट		

(ग) परिसर की प्रकृति								
स्वामित्व	पट्टा		किराए पर	किराए पर सहमति		सांझा की हुई	अन्य	
							(विनिर्दिग	प्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिस	गरों पर किए जा रहे कार	रबार के	कार्यकलापों की प्रकृति	(जो लागू	्हों कृपया र	उन्हें चिहिनत करें)		
फैक्टरी/विनिर्माण			थोक कारबार			खुदरा कारबार		
भांडागार/डिपो	डागार/डिपो			बंधित भांडागार		सेवाओं के प्रदायकर्ता		
कार्यालय/विक्रय कार्यालय			पट्टा कारबार			माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता		
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीर्प	ì		संकर्म संविदा			निर्यात		
आयात			अन्य (कृपया विनिर्दिः	प्ट करें)				

21. स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधन निदेशक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंधन समिति के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों का ब्यौरा।

ब्यौरे	प्रथम नाम		मध्य नाम		अंतिम नाम	1	
नाम							
फोटो					ı		
पिता का नाम							
जन्म की तिथि	दिन/मास/वर्ष		लिंग		<पुरुष,स्त्री,	,स्त्री,अन्य>	
मोबाईल संख्या			ई-मेल पता				
टेलीफोन संख्या एसटीडी सहित							
पदनाम/हैसियत		निदेश	ाक पहचान संख्या (यदि				
स्थायी लेखा संख्या		आध	ार संख्या				
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/ नहीं	पासप	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक की दशा में)				
आवासीय पता	•	_					
भवन संख्या/फ्लैट संख्या		तल र	संख्या				
परिसर/भवन का नाम		सड़व	Б∕गली				
शहर/नगर/परिक्षेत्र/गांव		जिल	जिला				
तालुक/ब्लॉक							
राज्य		पिन व	कोड				
देश (विदेशी नागरिक की दशा में)		ज़िप	ज़िप कोड				

22. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ब्यौरा													
प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी हस्ताक्षरी संख्या 1 का ब्यौरा		न											
हस्ताक्षरा संख्या I का ब्यारा ब्यौरे	1	Ι.						अंतिम ना					
	प्रथम नाम	,	मध्य नाम	1				आतम नाग	4				
नाम													
फोटो													
पिता का नाम			•										
जन्म की तिथि	दिन/मास/वर्ष		लिंग				<	<पुरुष,स्त्री	,अन्य>				
मोबाईल संख्या		,	ई-मेल प	ता									
टेलीफोन नंबर, एसटीडी के साथ													
पदनाम/ हैसियत					निदेशक हो)	पहचान	संख्या (यदि कोई					
स्थायी खाता संख्या					आधार स	गंख्या							
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नही				पासपोर्ट नंबर (विदेशियों के मामले में)								
भारत में आवासीय पता													
भवन संख्या/ फ्लैट संख्या			तल स	पंग्र्या									
परिसर / भवन का नाम			सड़क/ गली										
तालुका /ब्लाक			1,094	η · (CΠ									
शहर/ कस्बा /परिक्षेत्र गांव			जिला	Γ									
राज्य			पिन व	क्रोड									
23. प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौ	। रा										ı		
अभ्यावेशन आई डी, यदि उपलब्ध	हो												
निम्नलिखित ब्यौरें दें, यदि अभ्यावे	। शन आई डी उपल	<u>ब्ध</u> न हो											
स्थायी खाता संख्या													
आधार, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो	आधार, यदि स्थायी खाता संख्या												
प्रथम नाम म			मध्य नाम			अंतिम नाम							
व्यक्ति का नाम													
पदनाम/ हैसियत			•										
मोबाइल नंबर													
ई मेल पता		ı	1			1	1	1		1			
टेलीफोन नंबर, एस टी डी के साथ					फैक्स नंबर, एस टी डी के साथ								

24. विनिर्दिष्ट सूचना दें

वृत्तिक कर नामांकन कोड संख्या

वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क की अनुज्ञप्ति है

- (क) क्षेत्र 1
- (ख) क्षेत्र 2
- (ग)
- (घ)
- (इ.) क्षेत्र

25. दस्तावेज अपलोड करना

प्ररुप में क्षेत्र मूल्य के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने (नियम 8 में निर्दिष्ट) की अपेक्षा की जाती है।

26. सहमति

मैं आधार संख्या के धारक की और से < प्ररूप में दिये गए आधार संख्या के आधार पर पहले से भरे गए> माल और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से अपना ब्यौरा प्राप्त कराने हेतु सहमित देता हूं। माल और सेवा कर नेटवर्क ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान मान्य करने के लिए किया जाएगा और केवल अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा।

27. सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा)

मैं एतदद्वारा सत्यिनष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचनी मेरी जानकारी तथा विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम
तिथि	पदनाम / हैसियत

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :--

- 1. फोटो (जहां आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है)
 - (क) स्वत्वधारी समुत्थान स्वत्वधारी
 - (ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी प्रबंध/प्राधिकृत/ पदामिहित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)
 - (ग) हिंद् अविभक्त कुटुंब कर्ता
 - (घ) कंपनी प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति
 - (ङ) न्यास प्रबंध न्यासी
 - (च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)
 - (छ) स्थानीय प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य
 - (ज) कानूनी निकाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य
 - (झ) अन्य भारसाधक व्यक्ति
- 2. कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण।

3.	कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण :					
	(क) स्वयं के परिसर के लिए					
	परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम प्रति।	संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की				
	(ख) भाड़े या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए					
	पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ वैध किराए/पट्टा करार की प्रति।					
	(ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसरों के लिए—	-				
		ज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या ई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे।				
	(घ) भाड़े पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए, जहां किराए दस्तावेज, यथा, विद्युत बिल की प्रति के साथ उस प्रभाव का शप	·				
	(ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थि सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को	त है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता है, तो भारत अपलोड करना अपेक्षित है।				
4.	बैंक खाते से संबंधित प्रमाण :					
	बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चैक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और कोड सहित शाखा विवरण अंतर्विष्ट हो, स्कैन प्रति।					
5.	प्राधिकारपत्र प्ररूप :					
	आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के संकल्प या प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नलिखित प्ररूप में भरे जाएंगे :					
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक्) (स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि)					
	मैं/हम(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) का					
	(भागीदार/ कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि), सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता हूं/करते हैं कि << प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थित/पदनाम) >> को संकल्प संख्या					
	संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे।	करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर				
	रामाः	त्ररंग का राष्ट्र संयोग ज्यावरा का हस्सायार				
		हैमियतः				
	पदनाम/हैसियत: (स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)					
		,				
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता क रूप में आमस्वाकृति मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) >> उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी अभिस्वीकृत देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।					
		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर				
	स्थान : तिथि :					
	ापाञ्च .	(नाम) प्रास्थिति/हैसियत:				
		7				

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- 1. व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी लेखा संख्यां में अभिलिखित के अनुसार दर्ज करे। स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करे और स्वत्वधारी का स्थायी लेखा संख्यां उल्लिखित करे। स्थायी लेखा संख्यां आय-कर डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा।
- 2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- 3. कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्त्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है।
- 4. निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते है :--

कारबार का गठन	व्यक्ति, जो आवेदन पर अंकीय हस्ताक्षर कर सकते है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सोसाइटी/क्लब/ट्रस्ट/व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

- 5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है। यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करें, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।
- 6. राज्य विशिष्ट सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुसंगत है।
- 7. नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा भरे गए आवेदन अंकीय रूप से हस्ताक्षरित होंगे :--

क्रम संख्या	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक

	पब्लिक सेक्टर उपक्रम	
	। पाष्ट्राक सक्टर उपक्रम 	
	असीमित कंपनी	
	सीमित दायित्व भागीदारी	
	विदेशी कंपनी	
	विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	
2.	उपर्युक्त से अन्यथा	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक
		ई-हस्ताक्षर
		या
		कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए।

- 8. स्थायी लेखा संख्यां, आधार, निदेशक पहचान संख्यां, चालान पहचान संख्यां से संबंधित सभी सूचना, प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या जनित की जाएगी।
- 9. आनलाइन फाईल किए गए आवेदन की प्रास्थिति, अभिस्वीकृत पर उपदर्शित आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.), सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है।
- 10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाईल करने के लिए कोई फीस भुगतान योग्य नहीं है।
- 11. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए।
- 12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर बहु शीर्षका कारबार हैं, जो अपने किसी कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा।
- 13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 14. आवेदन के भाग क में प्रारंभिक ब्यौरे सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्थायी संदर्भ संख्यां (टी.आर.एन.) आबंटित किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में ब्यौरे भरने के लिए उपयोग किया जाएगा। अस्थायी संदर्भ संख्यां सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अविध के लिए उपलब्ध रहेगी।
- 15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने के लिए, प्ररूप जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग ख में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भृगतान करने की सूचना समझी जाएगी।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-2

(देखिए नियम 8(5)) अभिस्वीकृति

आवेदन संदर्भ संख्या
आपने सफलतापूर्वक आवेदन फाईल कर दिया है और आवेदन के ब्यौरे निम्नानुसार है :
फाइल करने की तिथि :
फाइल करने का समय :
माल और सेवा कर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :
विधिक नाम :
व्यापार नाम (यदि लागू हो):
प्ररूप संख्या :
प्ररूप वर्णन :
केन्द्र अधिकारिता :
राज्य अधिकारिता :
फाइल किया गया :
स्थायी संदर्भ संख्या, यदि कोई हो :
भुगतान के ब्यौरे : चालान पहचान संख्या :
तिथि :
राशि :
यह सिस्टम जनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :
*केवल आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू।

जी.एस.टी. आरईजी-3 प्ररूप

(देखिए नियम 9(2))

संदर्भ संख्या	तिथि
सेवा में,	
आवेदक का नाम,	
पता,	
माल और सेवाकार पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
आवेदन संदर्भ संख्या	
रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए आवेदन से संबंधित अतिरिक्त जा	नकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस
यह आपके एआरएन तिथि द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए आवे है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :	दन के संदर्भ अनुसार है। विभाग ने आपके आवेदन की जांच की
1.	
2.	
3.	
आप तिथि तक अपना जबाव प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं	
आप तिथि को समय पर अधोहस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित होने के लिए	निदेशित किए जाते हैं।
यदि निर्धारित तिथि तक जबाव नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी हो	गा।
कृपा नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा।	
	हस्ताक्षर
	उचित अधिकारी का नाम
	पद नाम
	अधिकारिता
*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं।	

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-04

(देखिए नियम 9(2))

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	संदर्भ संख्या		तिथि			
2.	आवेदन के ब्यौरे	संदर्भ संख्या		तिथि			
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हो						
4.	कारबार का नाम (विधिक)						
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो						
6.	पता						
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हां नहीं (एक पर निशान लगाएं)		
8.	अतिरिक्त जानकारी						
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची						
10	सत्यापन						
	मैंसत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्त ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।						
		प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर					
		नाम					
		पद नाम/हैसियत					
	स्थान :						
	तिथि :						

टिप्पण:

- 1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादित ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद सात में विकल्प हां चुना है।
- 2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए आशयित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हां चुना है।

पद नाम अधिकारिता

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-05

(देखिए नियम 9(4))

संदर्भ संख्या :				
सेवा में				
आवेदक का नाम :				
पता				
माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)				
रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश				
यह आपके एआरएन तिथि द्वारा फाइल किए गए जबाव के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके जबाव की जांच की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं पाया गया है:				
I.				
2.				
3.				
इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।				
या				
आपने संदर्भ संख्या तिथि द्वारा जारी नोटिस का जबाव उस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है। इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।				
हस्ताक्षर				
नाम				

प्ररूप जीएसटी आरईजी -06

(देखिए नियम 10(1)) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या जीएसटीआईएन/यूनिक नंबर (यूआई एन)

- 1. विधिक नाम
- 2. व्यापार नाम, यदि कोई हो
- 3. कारबार का गठन
- 4. कारबार के मूल स्थान का पता
- 5. दायित्व की तिथि दिन/माह/वर्ष
- 6. विधिमान्यता की अविध दिन/माह/वर्ष से दिन/माह/वर्ष तक (कारधेय व्यक्ति या केवल अनिवासी कराधेय व्यक्ति या आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू)
- 7. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार
- 8. अनुमोदन प्राधिकारी के ब्यौरे
 - i. केन्द्र राज्य

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय

9. प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि

टिप्पण – रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र राज्य में कारबार के सभी स्थानों में मुख्य रूप से दर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है।

उपबंध – क

कारबार के अतिरिक्त स्थानों के ब्यौरे

माल और सेवा कर पहचान संख्यां विधिक नाम व्यापार नाम, व्यापार का नाम यदि कोई हो राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या क्रम संख्या पता

2

3

उपबंध – ख

माल और सेवा कर पहचान संख्यां

विधिक नाम

व्यापार का नाम,

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रबंध समिति व्यक्ति संगमों के सदस्य/ न्यासियों का बोर्ड आदि के ब्यौरे

1.	फोटो	नाम	
			पदनाम/ हैसियत
			राज्य का निवासी
2.	फोटो	नाम	
			पदनाम/ हैसियत
			राज्य का निवासी
3.	फोटो	नाम	
			पदनाम/ हैसियत
			राज्य का निवासी
4.	फोटो	नाम	
			पदनाम/ हैसियत
			राज्य का निवासी
5.	फोटो	नाम	
			पदनाम / हैसियत
			राज्य का निवासी
6.	फोटो	नाम	
			पदनाम/ हैसियत
			राज्य का निवासी
7.	फोटो	नाम	
			पदनाम / हैसियत
			राज्य का निवासी
8.	फोटो	नाम	
			पदनाम / हैसियत
			राज्य का निवासी
9.	फोटो	नाम	
			पदनाम / हैसियत
			राज्य का निवासी
10.	फोटो	नाम	
			पदनाम / हैसियत
			राज्य का निवासी

(देखिए नियम 12 (1))

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग क

- (i) कर कटौतीकर्ता या कर कलक्टर का विधिक नाम (स्थायी लेखा संख्या /कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में उल्लेखानुसार)
- (ii) स्थायी लेखा संख्या

कारबार के स्थायी लेखा संख्या भरें संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में वैयक्तिक स्थायी लेखा संख्या

(iii) कर कटौती संग्रहण लेखा संख्या(कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है।

- (iv) ई-मेल पता
- (v) मोबाइल नम्बर

टिप्पण.– भाग ख भरे जाने के लिए पूर्व कार्रवाई के आन लाइन सत्यापन के अधीन उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत किया जाना है।

भाग ख

- 1. व्यापार का नाम,यदि कोई हो
- 2. कारबार का गठन (समुचित चयन करें)
 - (i) स्वत्वधारी
 - (ii) भागीदारी
 - (iii) हिन्दु अविभक्त कुटुंब
 - (iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
 - (v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
 - (vi) सोसाइटी/ क्लब /न्यास/व्यक्तियों का संगम।
 - (vii) सरकारी विभाग।
 - (viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।
 - (ix) असीमित कंपनी।
 - (x) सीमित दायित्व भागीदारी।
 - (xi) स्थानीय प्राधिकारी।
 - (xii) कानूनी निकाय।
 - (xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी
 - (xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)।
 - (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।

3. राज्य का नाम जिला

4. अधिकारिता राज्य केन्द्र

सेक्टर/सर्किल /वार्ड /प्रभार/यूनिट

			इत्यादि								
5	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार			कर व	टौतीक	र्ता () कर	कलक्टर		0
6.	सरकार (केन्द्रीय/राज्य/सं	घ राज्यक्षेत्र)			केन्द्र	-	() राज्	य/संघ राज्य	ाक्षेत्र	0
7.	कर की कटौती करने/संग्रहीत करने के दायित्व की तिथि			तिथि/मास/वर्ष							
8.	(क) कारबार के मूल स	थान का पता									
भवन संख	त्र्या/फ्लैट संख्या				तल संख्या	•					
परिसर/भव	वन का नाम				सड़क/गर्ल	Ì					
शहर/नगर	/परिक्षेत्र/गांव				जिला						
ब्लॉक/ताल्लुका											
अक्षांश				देशान्तर							
राज्य				पिन कोड							
(ख) संपर्व	हे सूचना										
कार्यालय	ई-मेल पता			कार्यालय टेलीफोन नं.							
मोबाइल न	i.			कार्यालय फैक्स नं.							
(ग)	परिसरों के कब्जे की प्र	कृति									
स्वामित्व		पट्टे पर दिया गः	या	किराये पर दिया गया	सहमति		साझा वं	जे हुई	अन्य (र्ा	वेनिर्दिष्ट	करें)
9.	क्या आपने उसी राज्य अधीन कोई अन्य रजि			ह	TÎ		नर्ह	Ť			
10	यदि हां, माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख करें										
11	आइईसी (आयातकर्ता निर्यातकर्ता कोड), यदि लागू हों										
12	कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी र्ड			 डीओ (आहरण अं	—- गौर संवितरण	 ा अधिक	—- गरी)/व्यक्ति	के ब्यौ			

ब्यौरे							
नाम		प्रथम नाम			मध्य नाम		अन्तिम नाम
पिता का नाम							
फोटो							
जन्म की तिथि		तिथि/मास/वर्ष			लिंग		<पुरूष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं.				ई-मेल पता			
टेलीफोन सं. एसटीडी सहित							
पदनाम/हैसियत				निदेशक पहचान स	मंख्या (यदि क	ोई हो)	
स्थायी लेखा संख्याक		आधार संख्या					
क्या आप भारत के नागरिक हैं?		हां/नहीं पासपोर्ट नं. (वि		पासपोर्ट नं. (विदेश	गी व्यक्तियों के	मामले में)	
निवास पता							
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.					
परिसर/भवन का नाम				परिक्षेत्र/गांव			
राज्य				पिन कोड			
13. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे						·	
प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए	चेक बॉक्स	ī 🗆					
हस्ताक्षरी सं. 1 के ब्यौरे							
ब्यौरे	प्रथम नाम		मध्य	नाम		अन्तिम नाम	
नाम							
फोटो							
पिता का नाम							
जन्म की तिथि	तिथि/मास	ग/वर्ष	लिंग		<पुरूष, स्त्री, अन्य>		
मोबाइल नं.			ई-मे	ल पता			

टेलिफोन	नं. एसटीडी सहित									
पदनाम/है	/हैसियत		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)							
स्थायी ले	खा संख्या			आधार संख्या						
क्या आप	भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं		पासपोर्ट सं.(विदेशी व्यक्तियों के मामले में)						
निवास प	ता (भारत के भीतर)									
भवन सं./	'फ्लैट सं.			तल सं.						
परिसर/भ	वन का नाम			सड़क/गली						
शहर/नगर	ा∕परिक्षेत्र/गांव			जिला						
राज्य				पिन कोड						
ब्लॉक/ता	ाल्लुका									
टिप्पण- अ	तिरिक्त लिखें									
14.	सहमित मैं आधार सं <प्ररूप में दी गई आधार सं. के आधार पर पहले भरा गया> के धारक की ओर से अधिप्रमाण के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे प्राप्त करने के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सहमित देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा, संग्रह के साथ सांझा किया जाएगा।									
15.	सत्यापन									
	मैं सत्य निष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।									
									(हस्त	ताक्षर)
	स्थान: कर व	कटौती करने/क	र संग्रह करने के लिए अ	ाहरण और संवितरण आं	धेकारी/व्य	यक्ति/प्रा	धिकृत	हस्ताक्ष	री का	नाम
	तिथि (पदनाम)									

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या स्थापना या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अभिकरणों को लागू न होना):-

कारबार के मूल स्थान का सबूत:

(क) स्वयं के परिसरों के लिए –

परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे कि

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।

- (ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए-
 - जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।
- (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए
 - जैसे कि नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति सहमितदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सिहत सहमितपत्र की प्रति सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।
- (घ) किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।
- (ङ) यदि कारबार का मूल स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।

कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- 1. कारबार कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या/स्थायी लेखा संख्या पर यथा अभिलिखित कर कटौतीकर्ता तथा कर संग्रहकर्ता का नाम प्रविष्ट करे। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या/स्थायी लेखा संख्या आय-कर विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।
- 2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति की ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराए जिससे आवेदन भरने से पहले पृथकतः भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- 3. ऐसा व्यक्ति जो डीडीओ/कर की कटौती करने वाले/कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।
- 4. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

क्रम संख्या	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो अधिसूचित किया जाए

- 5. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आन लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद संख्या सभी भरी गई सुचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात तैयार की जाएगी।
- 6. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की स्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।
- 7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस भुगतान योग्य नहीं है।
- 8. प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।

अन्य

कुल

प्ररूप जीएसटी आरईजी-08

[देखिए नियम 12(3)]

		•						
संदर्भ सं.				तिथिः	:			
सेवा में								
नाम:								
पता:								
आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)	(उत्तर)			तिथिः	:			
	स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में आरईजी के रद्दकरण का आदेश							
यह अधिनियम के अधीन आर	ईजी के रद्दकरण के लिए स	यंदर्भ संख्या, तिथि	द्वारा जारी कारण	बताओ सूचना के संदर्भ में	है।			
🔲 - चूंकि कारण बताओ	सूचना के प्रति कोई उत्तर प	काइल नहीं किया गया है						
🛘 - चूंकि सुनवाई के लिए	नियत तिथि को आप हारि	जेर नहीं हुए						
	नूचना के प्रति आपका उत्त लिखित कारण (कारणों) वे			की गई है। अधोहस्ताक्षरी	की यह राय है कि			
1.								
2.								
आरईजी के रद्दकरण की प्रभाव	ी तिथि <<तिथि/मास/वर्ष	² >>.						
आपको (तिथि) को या इससे पहले अधोलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दिया जाता है जिसके असफल पर राशि अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी। (यह आदेश आपके डैश बोर्ड पर भी उपलब्ध है)								
शीर्ष	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर			
कर								
ब्याज								
शास्ति								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अधिकारिता

[देखिए नियम 13(1)]

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रजिस्टरीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र –

जिला -

(i)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का लेखा संख्या, अनिवासी कराधेय व्यक्ति का लेखा संख्या यदि कोई हो	
(iii)	पासपोर्ट संख्या, पासपोर्ट संख्या यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है	
(iv)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्या के अनुसार)	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्या	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(viii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	

टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।


भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होना चाहिए)						
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम				
	फोटो		-				
	लिंग		पुरूष/स्नी/अन्य				
	पदनाम						
	जन्म की तिथि		तिथि/मास/वर्ष				
	पिता का नाम						
	राष्ट्रीयता						
	आधार						
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता		पता पंक्ति 1				
			पता पंक्ति 2				
			पता पंक्ति 3				
2.	वह अवधि, जिसके लिए	से	तक				
	रजिस्टरीकरण अपेक्षित है	तिथि/मास/वर्ष	तिथि/मास/वर्ष				

3	आवर्त के ब्यौरे अनुमानित आवर्त (रुपये) अनुमानित कर दायित्व (शुद्ध) (रुपये					रुपये					
			राज्य के भीतर	अन्तर्राज्यीय	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर		
4	उदभव के देश में अ	निवासी कराधेय	व्यक्ति का पता								
	(कारबार अस्तित्व के मामले में - कार्यालय का पता)										
	पता पक्ति 1										
	पता पक्ति 2										
	पता पक्ति 3										
	देश (ड्रॉप डाउन)										
	जिप कोड										
	ई-मेल पता										
टेलिफोन नं.											
5	भारत में कारबार के	मूल स्थान का प	ाता								
	भवन संख्या /फ्लैट संख्या			तल संख्य	तल संख्या						
	परिसर/भवन का ना	सड़क/गली	-								
	शहर/नगर/ग्राम/परि	जिला	जिला								
	ब्लॉक/ताल्लुका										
	अक्षांश	देशांतर	देशांतर								
	राज्य	पिन कोड	पिन कोड								
	मोबाइल नम्बर			टेलीफोन न	टेलीफोन नम्बर						
	ई-मेल पता			फैक्स नम्ब	फैक्स नम्बर एसटीडी सहित						
6	भारत में बैंक खाते व	के ब्यौरे		1							
	लेखा संख्या			लेखा का प्र	लेखा का प्रकार						
	बैंक का नाम		शाखा का पत	п			;	आईएफएससी			
7	अपलोड किए गए व प्ररूप में क्षेत्रीय महत		पलोड किए जाने	ो वाले अपेक्षित दस्	तावेजों (अ	ानदेश देख	वें) की अनकल	ा सची			
8	घोषणा	3	•			3	, , , ,	6			
o	मैं सत्य निष्ठा से प्रति इससे कोई बात नहीं		ाा करता हूं कि इ	समें ऊपर दी गई ज	ानकारी मेरे	सर्वोत्तम	ज्ञान और विश्व	ास के अनुसार सत	य और सही है तथा		
							c	हस्ताक्षर			
	स्थान: तिथि:						प्राधिकृ	त हस्ताक्षरी का न पदनाम:	IH		

टिप्पणः अनिवासी कराधेय व्यक्ति से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-



मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)>> सत्य निष्ठा से ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए
अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
पता:
तिथि:
पदनाम/प्रास्थिति:

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्टरीकरण के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश-

- पासपोर्ट में यथा अभिलिखित आवेदक अनिवासी कराधेय व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें।
- सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें।
- आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराना आवश्यक है जो आवेदन के भाग – ख को भरने से पूर्व, पृथक रूप से भेजने जाने वाले वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- 4. आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध निदेशकों और संगमों की प्रबंध सिमिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिकनिदेशक/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षिरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना आवश्यक है, यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में घोषित करता है।
- अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	
	पब्लिक सेक्टर उपक्रम	
	अपरिसीमित अनलिमिटेड कंपनी	
	सीमित दायित्व भागीदारी	
	विदेशी कंपनी	
	विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के, ई- हस्ताक्षर या जो अधिसूचित किया जाए

- 6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।
- ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थित को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।
- 8. रजिस्टरीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।
- 9. प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा

[नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

	राज्य/सय राज्यक्षत्र – ।जला -	
(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	व्यक्ति का लेखा संख्या, यदि कोई हो	
(iii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्या के अनुसार)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्या	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	

टिप्पण.— जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौर (भारत	का निवासी होगा)	
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग		पुरूष/स्त्री/अन्य
	पदनाम जन्म की तिथि		
			तिथि/मास/वर्ष
	पिता का नाम		
	राष्ट्रीयता		
	आधार, यदि कोई हो		

	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता			पता पंक्ति 1				
				पता पंक्ति 2				
				पता पंक्ति 3				
2.	भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तिथि			तिथि/मास/वर्ष				
3	वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं, के			हैं, के	एक समान स्रोत अव	स्थापक (यूआरएल	त(एस):	
	1. 2.							
	3							
4	अधिकारिता		केन्द्र					
	बैंक खाते के ब्यौरे							
5	खाता सं.			खात	ता का प्रकार			
	बैंक का नाम		शाखा का पता				आइएफएससी	
6	अपलोड की गई दस्ता प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व		इ किए जाने वाले अपे	क्षित व	इस्तावेजों (अनुदेश दे	वें) की अनुकूल सृ	ची	
	घोषणा							
	मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।							
7	मैंयह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारित ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी कर प्रभारित करूंगा और संग्रहीत करूंगा और उसे भारत सरकार में जमा करूंगा।				स्थित गैर-निर्धारिती			
	19113.				हस्ताक्षर		т	
	स्थान: तिथि:				प्राधिकृत पदनाम	ा हस्ताक्षरी का नाम :	1	
	•							

टिप्पण.— आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।

1.	भारत में कारबार के स्थान का सबूत:					
1.						
	परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।					
	(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए–					
	पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति ।					
	(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए –					
	सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति जैसे कि नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।					
2.	निम्नलिखित के सबूत :					
	बीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी कर दाता के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।					
	निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है।					
	उद्रभव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति					
	भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।					
3	बैंक खाता सम्बद्ध सबूत:					
	बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति।					
	स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर					
	और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।					
4	प्राधिकार प्ररूप:-					
	प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्निलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति:					
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से)					
	मैं(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार <<कारबार का नाम>> जिसके लिए रजिस्टरीकरण का आवेदन माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के					
	अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>>					
	प्राधिकृत हू। इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी।					
	उस वर्गात्वार वर्ग सम्बन्ध में उसका समा वर्गात्वाइया मुझ बर्लाव क्रुकर ठाना। उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं।					
	जन ज्यातियां के हस्तावार, जा नारसायक हा					
	क्रम संख्या पूरा नाम पदनाम/हैसियत हस्ताक्षर					
	1.					
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति					
	मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति					
	सत्यनिष्ठा से देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।					
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर					
	स्थान: (नाम)					
	तिथि : पदनाम/ हैसियत					

[देखिए नियम 15(1)]

आकस्मिक/अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा रजिस्टरीकरण अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआइएन							
2.	नाम (विधिक)							
3.	व्यवसाय का नाम, यदि कोई	हो						
4.	पता							
5.	विधिमान्यता की अवधि (मूर्	त)	से			तक		
		दिन/मार	प्त∕वर्ष	1	दिन/मास/वर्ष			
6.	अवधि जिसके लिए विस्तार	से			तक			
		दिन /मार	स/वर्ष	दिन /मास/वर्ष				
7.	विस्तारित अवधि के लिए अ	विस्तारित अवधि के लिए (शुद्ध) प्राक्कलित कर दायित्व (रूपये)						
	अन्तर्राज्यीय राज्य के भीतर		केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
8.	भुगतान के ब्यौरे							
	तिथि	सीआइएन	बीआरएन		राशि			
9.	घोषणा-							
	मैं इसके दारा सत्य निष्ठा से ! और सही है तथा इससे कोई	प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं ि बात नहीं छिपाई गई है।	के इसमें ऊपर दी ग	ाई जानकारी मेरे	रे सर्वोत्तम ज्ञान अं	ौर विश्वास के	अनुसार सत्य	
	ı							
		हस्ताक्षर						
स्थान:			7	गाधिकृत हस्ता	क्षरी का नाम:			
तिथि:			पदनाम/हैसियत:					

विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

- 1. आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।
- 2. आवेदन केवल तब फाइल किया जा सकता है जब अग्रिम भुगतान किया जाता है।
- 3. सफल फाइल करने के पश्चात्, आवेदन संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी जिसे आवेदन की प्रास्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्ररूप जाएसटा आरइजा- 12दाखए	ानथम <i>16(1)]</i>
	तिथि:

सेवा में,

संदर्भ संख्या -

(नाम):

(पता):

अस्थायी रजिस्टरीकरण संख्या

अस्थायी रजिस्टरीकरण/ स्वप्रेरणा से रजिस्टरीकरण अनुदत्त करने के लिए आदेश

चूंकि अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन **रजिस्टरीकरण** करने के दायी हैं और इसलिए आपका अस्थायी आधार पर **रजिस्टरीकरण** किया जाता है। कारबार परिसर से पता लगाई गई कारबार की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

उस व्यक्ति के ब्यौरे, जिसे अस्थायी रजिस्टरीकरण अनुदत्त किया गया है							
1.	नाम और विधिक	नाम, यदि लागू हो					
2.	लिंग		पुरुष/ महिला/ अन्य				
3.	पिता का नाम						
4.	जन्म की तिथि		दिन/ मास/वर्ष				
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या					
		मं जिल					
		परिसर/भवन का नाम					
		सड़क गली					
		शहर/नगर/लोकलिटी/ग्राम					
		ब्लॉक/तालुका					
		जिला					
		राज्य					
		पिन कोड					
6.	व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हो						
7.	मोबाइल नंबर						
8.	ईमेल पता						
9.	अन्य पहचान, यवि	कोई हो					
	(मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट संख्या/चालन अनुज्ञप्ति संख्या/आधार						
	संख्या/अन्य)						
10.	अस्थायी रजिस्टर्र						
11.		रजिस्टरीकरण/ अस्थायी पहचान की प्रभावी तिथि					
12.	रजिस्टरीकरण सं	ख्या/अस्थायी पहचान					

(अभिग्रहण मेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज़ का अपलोड किया जाना)

<< आपको इस आदेश के जारी होने के तीस दिन के भीतर समुचित **रजिस्टरीकरण** के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है >>

हस्ताक्षर

स्थान << अधिकारी का नाम >> >>

तिथि : पदनाम/अधिकारिता:

टिप्पण :आदेश की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले तत्स्थानी केंद्रीय/राज्य प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

[देखिए नियम 17 (1)]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

भाग क

(i)	संख्या का नाम	
(ii)	संख्या की स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिसूचित व्यक्ति की दशा में लागू)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी लेखा संख्या	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर+) 91)	

भाग ख

1.	संख्या का किस्म) कोई एक चुनें)		संयुक्त राष्ट्र	द	तावास अन्य व्यक्ति		
2.	देश						
3.	अधिसूचना के ब्यौरे			अधिसूचना संख्या तिथि			
4.	राज्य में संख्या का पता						
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर			मं जिल			
	परिसर/भवन का नाम			सड़क/ गली			
	शहर/कस्बा/गाँव			जिला			
	ब्लॉक/तालुका						
	अक्षांश			देश	गन्तर		
	राज्य			पिन	। कोड		
	संपर्क के लिए जानकारी						
	ईमेल पता			टेल	ीफोन नंबर		
	फैक्स नंबर			मोव	बाइल नंबर		
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यवि	दे लागू हों					
	विशिष्टियां	प्रथम नाम		म	ध्य नाम	अं	तिम नाम
	नाम						
	फोटो						
	पिता का नाम						
	जन्म की तिथि	दिन/ मास/	वर्ष	ि	नंग	<,	गुरुष, महिला, अन्य>
	मोबाइल नंबर			ईर	नेल पता		
	टेलीफ़ोन नंबर						
	पदनाम/हैसियत				निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)		

	स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या		
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)		
	घर का पता		<u> </u>		
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल		
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली		
	नगर/शहर/गांव		जिला		
	ब्लॉक/तालुका				
	राज्य		पिन कोड		
8.	बैंक खाता ब्यौरे)यदि आवश्यक हो	तो और जोड़ें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार		
	आईएफएससी		बैंक का नाम		
	शाखा का पता				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि से भिन्न(ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सिम्मिलत हैं, को अपलोड किया जाएगा। या समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सिम्मिलित हैं, के साथ सृजित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा।				
11.	सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।				
स्थान:			(हस्ताक्षर)		
तिथि:					
			प्राधिकृत व्यक्ति	का नाम:	
		या			
			(हस्ताक्षर)		
स्थान			समुचित अधिका	री का नाम:	

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के रजिस्टरीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

तिथि:

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से **रजिस्टरीकरण** अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित संख्या द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे "के सामने भरा जाना चाहिए।

पदनाम: अधिकारिता:

[देखिए नियम 19(1)]

रजिस्टरीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन (सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआ	ईएन/यूआईएन			
2. कारबार का	नाम			
3. रजिस्टरीक	रण का प्रकार			
4. संशोधन सा	रांश			
क्रम संख्या	फील्ड नाम	प्रभावी (दिन / मास	तिथि ⁄ वर्ष)	कारण
5. अपलोड वि	ज्ए गए दस्तावेजों की सूची			
(क)				
(ख)				
(ग)				
6. घोषणा				
		के इसमें ऊपर दी	ो गई सूचना में	ोरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है
तथा इसमें कुछ	भी छुपाया नहीं गया है।			
				हस्ताक्षर
स्थान:				प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
तिथि :				पदनाम/हैसियत:

संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तृत करने के लिए अनुदेश

- 1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
- 2. कारबार के नाम, कारबार का प्रधान स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों या निदेशकों के ब्यौरे, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी है से संबंधित परिवर्तन, जो रिजस्टरीकरण को रद्द करने के लिए अधिदेश नहीं करते हैं, कोर फील्ड हैं, जिनका सम्यक् सत्यापन के पश्चात् समुचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
- गैर-कोर फील्ड में संशोधन के लिए समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
- 4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत की स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है तो उक्त व्यक्ति से नए **रजिस्ट्रीकरण** के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।
- 5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन को सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।
- 6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना का आनलाइन विधिमान्यकरण प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) आवश्यक फील्ड के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् मृजित की जाएगी।
- 7. आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
- 8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस भुगतानयोग्य नहीं है।
- 9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्यक नहीं होगा।

देखिए	नियम	10	(1)	7
14195	ריפויו	17	(1)	/

<i>्दिखि</i> संदर्भ संख्या - << >>	ए नियम 19 (1)] तिथि - दिन/ मास/वर्ष			
सेवा में				
(नाम)				
(पता) रजि स्ट्री करण संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या <i>/विशिष्ट पहचान</i>	१ गोला \			
राजस्ट्राकरण संख्या (मारा जार संया कर बहुयान संख्या/।यारान्ट बहुयान	। तल्या)			
आवेदन संदर्भ संख्या) एआरएन)	तिथि - दिन/ मास/वर्ष			
संश	ोधन के आदेश			
आपकी आवेदन संख्या तिथि जो रजि स्ट्री करण विशिष्टियों में संशोधन के संबंध में है, को निर्दिष्ट करें। आपके आवेदन की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है। रजि स्ट्री करण का संशोधन प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।				
	हस्ताक्षर			
	नाम			
तिथि : स्थान :	पदनाम अधिकारिता			
N701.	जानुकारता			

[देखिए नियम 20]

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन			
2	विधिक नाम			
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो			
4	कारबार के प्रधान स्थान का पता			
5	भावी पत्राचार के लिए पता (ईमेल, मोबाइल	भवन संख्या/फ्लैट संख्या		मंजिल
	टेलीफोन, फ़ैक्स सहित)	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव		जिला
		ब्लॉक/तालुका		
		अक्षांश		देशान्तर
		राज्य		पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)		टेलीफोन
		ईमेल		फैक्स संख्या
6.	रद्द करने के कारण (एक चुने)	समामेलन, विलयन/अविल कारबार का अंतरण आदि।	समापन ए दायी होने का समाप्त होना तयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा निपटान के कारण त के कारण स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन	
7.	कारबार के अंतरण, विलय	गन की दशा में उस संख्या के रजि स्ट्री कर ण	ण की विशिष्टियां, जिसमें विलयन, समामेलन, अंतरण उ	भादि किया गया है
(i)	माल और सेवा कर पहचान संख्या			
(ii)	(क) नाम (विधिक)			
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो			

(iii)	कारबार के प्रधा	न भवन संख्य	भवन संख्या/फ्लैट संख्या						T
	स्थान का पता	परिसर/भव	न का नाम					सड़क	/गली
		शहर/कस्ब	ा/गाँव				जिला		
		ब्लॉक/ता			1				
		अक्षांश			देशान्त	तर			
		राज्य						पिन व	<u></u> होड
		मोबाइल (देश कोड के सा	थ)				टेलीप	जोन जोन
		ईमेल						फैक्स	संख्या
8.	तिथि जिससे रजिर	स् ट्रीकरण रद्द वि	या जाना है।				दिन/ मास/वर्ष		
9.	फाइल किए गए ऑ	तेम रिटर्न की वि	शिष्टियां				_		
(i)	कर अवधि								
(ii)	आवेदन संदर्भ संख्य	या							
(iii)	तिथि								
10.	रजिस्ट्रीकरण के स	द्द करने की प्रभा	न वी तिथि को स्टॉ	ॉक में धारित इर	नपुट/पूंजी मालों	ं के संबंध में भुगतान	योग्य कर की राशि	Т	
	विवरण		स्टॉक का		भुगतान योग्य	इनपुट कर /प्रत्यय क	कर (जो भी अधिक हो) (रुपए)		
			मूल्य (रु.)	N -			T -		
				केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत व	ह र	उपकर
	इनपुट								
	अर्द्ध तैयार मालों में इनपुट	अंतर्विष्ट							
	तैयार मालों में अंतर्रि	र्वेष्ट इनपुट							
	पूंजी माल/संयंत्र औ	र मशीनरी							
	योग								
11.	भुगतान कर के ब्यौरे	, यदि कोई हो				•			
	रोकड़ खाते से भुगतान								
	क्रम संख्या	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य	प्र कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत व	ह र	उपकर
	1.						•		
	2.								
		उप-योग							

				आईटीस	नी खाते से भुगतान	1		
	क्रम संख्या	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	र	ाज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.							
	2.							
		उप-योग						
	भुगतान कर की व्	कुल राशि						
12 अप	ग्लोड किए गए दस्त	ावेज						
मैं/हम	13 सत्यापन मैं/हम सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि और यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।							
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर							
स्थान							प्राधिकृत हस	ताक्षरकर्ता का नाम
तिथि								पदनाम/हैसियत

रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश

- अपने रिजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का इच्छुक कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, जिसमें अतिशेष स्टॉक और उस पर दायित्व के ब्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज होंगे, आम पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।
- निम्नलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे:

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	प्रभारी व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदामिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष मैनुअल रूप से उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा। नई संख्या, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई संख्या को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

रद् करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी फाइल करें, जिसमें रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तिथि आती है।

- आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
- रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस भुगतानयोग्य नहीं है।
- रिजस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति भुगतान करेगा, यदि इस आवेदन को करने के समय नहीं किया गया है तो और अधिनियम में यथाउपबंधित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को भी अपडेट करेगा।

[देखिए नियम 22(1)]

संदर्भ संख्या -	<< तिथि >>
सेवा में	
रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)	
(नाम)	
(पता)	
रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए कारण बताअ	गे नोटिस
्र चूंकि मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित कारणों से आ	
1	
2	
3	
🔲 आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर इस नोटिस की तामील की तिथि से सात कार्यदिवस के भीत	र देने का निदेश दिया जाता है।
🔲 आपको अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिन/ मास/वर्ष को घंटा/मिनट पर उपस्थित होने का निदेश वि	देया जाता है ।
यदि आप नियत तिथि के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तिथि और समय पर वैय मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एकतरफा विनिश्चय किया जाएगा।	क्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो
	हस्ताक्षर
	<अधिकारी का नाम>
स्थान :	पदनाम
तिथि :	अधिकारिता

[देखिए नियम 22 (2)]

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर

1.	संदर्भ नोटिस की संख्या	जारी करने की तिथि	
2.	जीएसटीआईएन/यूआईएन		
3.	कारबार का नाम (विधिक)		
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
5.	नोटिस का प्रत्युत्तर		
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची		
7.	सत्यापन		
	मैं दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुग	ाज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता र इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।	हूं कि यहां ऊपर
		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	
	स्थान :	नाम	
	तिथि :	पदनाम/हैसियत	

		[देखि	ए नियम 22 (3)]		
संदर्भ संख्या -				तिथि	
सेवा में					
नाम					
पता					
माल और सेवा कर पहचान संख्य	ग्रा/विशिष्ट पहचान संख	त्या			
आवेदन संदर्भ संख्या) (एआरएन)			तिथि	
		रजिस्ट्रीकरण	रद्द करने के लिए आदेश		
आपके तिथि के प्रत्युत्तर वे	ь संदर्भ में तिथि [.]	की कारण बताओं	नोटिस के संदर्भ में		
- चूंकि कारण बताओं नोटिस	का कोई प्रत्युत्तर प्रस्त्	ति नहीं किया गया	है ; या		
- चूंकि सुनवाई के लिए नियत	दिन को आप उपस्थित	नहीं हुए थे ; या			
- चूंकि अद्योहस्ताक्षरी ने सुन			र और दलीलों की जांच	की है और उसका यह मत है	कि आपका रजिस्ट्रीकरण
निम्नलिखित कारण (कारणों) से	रद्द किए जाने का दायी	है।			
1.					
2.					
आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए	जाने की प्रभावी तिथि	<< दिन/मास/वर्ष	>> है ।		
रद्दकरण के अनुसरण में भुगता	नयोग्य राशि का अव	धारण:			
तदनुसार, आपके द्वारा भुगतानयो	ग्य राशि और उसकी सं	ांगणना तथा उसके	आधार निम्नानुसार हैं:		
पूर्वोक्त भुगतानयोग्य अवधारण व भुगतानयोग्य हो सकती है।	क्री जाने वाली राशि वि	क्सी अन्य राशि पर 	प्रतिकूल प्रभाव डाले बिन	॥ है, जो आपके द्वारा अंतिम	विवरण प्रस्तुत किए जाने पर
आपसे (तिथि) को या	उससे पूर्व निम्नलिखित	। राशियो का भुगत	नान करना अपेक्षित है, जि	सके न हो सकने पर राशि अ	धिनियम और उसके अधीन
बनाए गए नियमों के उपबंधों के उ		-			
शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
योग					
	.1	ı	•		
				हस्ताक्षर	
				<अधिकारी का ना	म >

पदनाम

अधिकारिता

स्थान:

तिथि:

/देखिए नियम 22 (4)]

[400(11122(1)]	
संदर्भ संख्या -	तिथि
सेवा में	
नाम	
पता	
जीएसटीआईएन/यूआईएन	
कारण बताओं नोटिस संख्या	तिथि
रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने वे	के लिए आदेश
आपके तिथि की कारण बताओं नोटिस दिन/ मास/वर्ष के प्रत्युत्तर के उत्तर को निर्दिष्ट करें। सुनव पर विचार करने पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से स	ाई के दौरान दिए गए आपके उत्तर और/या दलीलों माप्त की जाती हैं :
<< पाठ >>	
	हस्ताक्षर
	<अधिकारी का नाम>
स्थान:	पदनाम
तिथि:	अधिकारिता

/देखिए नियम 23(1)/

रजिस्टीकरण के रद्दीकरण के विखंडन के लिए आवेदन

जीएसटीआईएन (रद्द)							
विधिक नाम							
व्यापारिक नाम, यदि कोई हों							
पता							
(कारबार का मूल स्थान)							
रद्दकरण आदेश संख्या				तिथि –			
रद्दकरण के कारण							
फाइल की गई अंतिम विवरणी	का ब्यौरा						
विवरणी की अवधि			आवेदन निदेश संख्यांक		फाइल करने की	तिथि	दिन/ मास/वर्ष
रद्दकरण के विखंडन का कारण	Γ	संक्षि	तप्त में कारण (विस्तृत कारण	संलग्नक के	हरूप में संलग्न वि	हए जा सब	मते है)
अपलोड दस्तावेज							
सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान औ छिपाया गया है।	ोर घोषणा करता हूं	्कि उ	ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञा	न और विष्	खास में सत्य अं	ोर सही है	तथा उसमें कुछ भी नहीं
	विधिक नाम व्यापारिक नाम, यदि कोई हों पता (कारबार का मूल स्थान) रद्दकरण आदेश संख्या रद्दकरण के कारण फाइल की गई अंतिम विवरणी विवरणी की अवधि रद्दकरण के विखंडन का कारण अपलोड दस्तावेज सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान औ	विधिक नाम व्यापारिक नाम, यदि कोई हों पता (कारबार का मूल स्थान) रद्दकरण आदेश संख्या रद्दकरण के कारण फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा विवरणी की अवधि रद्दकरण के विखंडन का कारण अपलोड दस्तावेज सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं	विधिक नाम व्यापारिक नाम, यदि कोई हों पता (कारबार का मूल स्थान) रद्दकरण आदेश संख्या रद्दकरण के कारण फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा विवरणी की अवधि रद्दकरण के विखंडन का कारण संधि अपलोड दस्तावेज सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि उ	विधिक नाम व्यापारिक नाम, यदि कोई हों पता (कारबार का मूल स्थान) रद्दकरण आदेश संख्या रद्दकरण के कारण फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा विवरणी की अवधि रद्दकरण के विखंडन का कारण अपलोड दस्तावेज सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञा	विधिक नाम व्यापारिक नाम, यदि कोई हों पता (कारबार का मूल स्थान) रद्दकरण आदेश संख्या रद्दकरण के कारण फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा विवरणी की अवधि रद्दकरण के विखंडन का कारण संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के अपलोड दस्तावेज सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्व	विधिक नाम व्यापारिक नाम, यदि कोई हों पता (कारबार का मूल स्थान) रहकरण आदेश संख्या रहकरण के कारण फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा विवरणी की अवधि उवारण के विखंडन का कारण संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के रूप में संलग्न वि अपलोड दस्तावेज सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य औ	विधिक नाम व्यापारिक नाम, यदि कोई हों पता (कारबार का मूल स्थान) रहकरण ओदेश संख्या रहकरण के कारण फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा विवरणी की अवधि पत्तकरण के विखंडन का कारण संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलम्क के रूप में संलम्न किए जा सब्धापन सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- िकसी व्यक्ति जिसका रिजस्ट्रीकरण समुचित अधिकारी द्वारा अपने आप रद्द कर दिया गया है, समान पोर्टल संख्या आवेदन पर रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तिथि से तीस दिन में रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि रिजस्ट्रीकरण विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण रद्द हुए है तो ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जा सकेगी तथा ऐसी विवरणी में कर के रूप में देय कोई राशि ब्याज के लिए भुगतानयोग्य किसी राशि के साथ भुगतान की जाएगी।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और इनके आनलाईन सत्यापन के पश्चात् समान पोर्टल के माध्यम से विहित रीति में इनको संशोधित किया जाएगा।
- समान पोर्टल पर आवेदन की प्रास्थिति देखी जा सकेगी।
- रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क भुगतानयोग्य नहीं होगा।

तिथि स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

/देखिए नियम 23(2)]

संदर्भ संख्या -	तिथि
सेवा में	
जीएसटीआईएन / यूआईएन	
(करदाता का नाम)	
(पता)	
आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)	तिथि
रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आदेश	
रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए अपने आवेदन तिथि दिन/ मास /वर्ष का संदर्भ लें। आपके आवेदन	। का परीक्षण किया जा चुका है और उसको
सही पाया गया है, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।	
	समुचित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
	(पदनाम)

अधिकारिता –

प्ररूप जीएसटी-23

/देखिए नियम 23(3)]

संदर्भ संख्या :	तिथि
सेवा में,	
आवेदक/ करदाता का नाम	
आवेदक/ करदाता का पता	
जीएसटीआईएन	
आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन):	तिथि
रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के आवेदन को र	बारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस
रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के बाबत अपने आवेदन तिथि दिन/मास/व निम्नलिखित कारणों के कारण खारिज होने योग्य पाया गया :	र्ष का संदर्भ लें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और उसके
1.	
2.	
3.	
 — आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तिर्ग 	थे से सात कार्य दिवसों में इस नोटिस का उत्तर दें।
यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते है या नियत तिथि और मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चित कर दिय	समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते है तो
	हस्ताक्षर
	समुचित अधिकारी का नाम
	(पदनाम)
	अधिकारिता

/देखिए नियम 23(3)]

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का उत्तर

1.	नोटिस की संदर्भ संख्या		तिथि				
2.	आवेदन संदर्भ संख्या		तिथि				
	(एआरएन)						
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हों						
4.	सूचना/कारण						
5.	फाइल दस्तावेजों की सूची						
6.	सत्यापन में सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम/हैसियत						
	स्थान :						
	तिथि :						

*[*देखिए नियम 24(1)]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1.	अनंतिम पह					
ļ		हेचा न				
2.	स्थायी खात	ग संख्यांक				
3.	विधिक नाग	1				
4.	व्यापारिक र	नाम				
5.	विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे					
	अधिनियम		रजिस्ट्रीकरण संख्यांक			
(क)						
(ख)						
(ग)						
तिथि		<प्रमाणपत्र के सृजन	की तिथि>	स्थान	<ग्राज्य>	

अनंतिम रजिस्ट्रेशन का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है।

/देखिए नियम 24(2)]

विद्यमान करदाता के नामांकन के लिए आवेदन								
करदाता का ब्यौरा								
1. अ	अनंतिम पहचान							
2. वि	धिक नाम (स्थायी खाता संख्या के अनुसार)							
3. विधिक नाम (राज्य/केन्द्र के अनुसार)								
4. व्यापारिक नाम, यदि कोई है								
5. का	5. कारबार का स्थायी खाता संख्या							
6. गट	6. गठन							
7. राष	न ्य							
७३. सेव	म्टर, सर्किल, वार्ड इत्यादि, जो लागू हों							
7आ. अ	धिकारिता केन्द्र							
8. रि	जस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व का कारण	पूर्ववर्ती विधि के अ	धीन रजिस्ट्रीकरण					
9. वि	द्यमान रजिस्ट्रीकरण							
क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार		रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तिथि				
1	मूल्य वर्धित कर के अधीन टिन							
2	केन्द्रीय विक्रयकर रजिस्ट्रीकरण संख्या							
3	प्रविष्टि कर रजिस्ट्रीकरण संख्या							
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्या							
5	होटल और लग्जरी कर रजिस्ट्रीकरण संख्या							
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण संख्या							
7	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्या							
8	कारपोरेट पहचान संख्या /विदेशी कंपनी रजिस्ट्रं	<u></u> रीकरण						
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान संख्या / विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान संख्या							
10	आयात/निर्यातक कोड संख्या							
11	ओषधिय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण							
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)							

10. कारबार के मूल स्थान का ब्यौरा									
भवन संख्या /फ्लैट संख्या				मजिल संख्या					
परिसर/भवन का नाम					सड़क/गली				
स्थान/ग्राम					जिला				
राज्य					पिन कोड				
अक्षांश			देशान्तर						
संपर्क सूचना					•				
कार्यालय ई-मेल पता					कार्यालय दूरभाष संख्य	Т			
मोबाइल संख्या					कार्यालय फैक्स संख्या				
10अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति	•		(स्वामित्व	, पट्टे पर,	किराए पर, सहमति से, सा	झेदारी)			
10आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाक्लापों र्क	ो प्रकृति								
फैक्ट्री/निर्माण O	थोक व	नारबार		0	खुदरा कारबार	0	भंड	ागार/डिपो	0
बांडेड भंडागार O	सेवा उ	पबंध		0	कार्यालय/विक्रय कार्याल	ти О	पट्ट	ा कारबार	0
सेवा प्राप्तकर्ता 🔘	ईओयू/	(एसटीपी	/ईएचटीपी	0	एस ई जैड O			निवेश सेवा वितरक 🔿	
संकर्म संविदा O	अन्य (विनिर्दिष्ट	ष्ट्र करें)	0					
11. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा	•						,		
भवन संख्या /फ्लैट संख्या					मजिल संख्या				
परिसर/भवन का नाम					सड़क/गली				
स्थान/ग्राम					जिला				
राज्य					पिन कोड				
अक्षांश					देशान्तर				
संपर्क सूचना					•				
कार्यालय ई-मेल पता				कार्यालय	ग दूरभाष संख्या				
मोबाइल संख्या			कार्यालय फैक्स संख्या						
11अ.परिसर के कब्जे की प्रकृति	(स्वामित्व, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)								
11आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाक्लापों की प्रकृति									
फैक्ट्री/निर्माण O	थोक क	गरबार		0	फैक्ट्री/निर्माण C) {	थोक क	ारबार	0
बांडेड भंडागार O	सेवा उप	प्रबंध		0	बांडेड भंडागार C) 1	प्तेवा उप	वन	0
सेवा प्राप्तकर्ता 🔾	ईओयू/प	यू/एसटीपी/ईएचटीपी 0		0	सेवा प्राप्तकर्ता C) =	ईओयू/प	र्सटीपी/ईएचर्ट	ोपी 🔾
संकर्म संविदा О	अन्य (र्नि	वेनिर्दिष्ट	करें)	0	कार्य संविदा 🔾) [अन्य (ि	वेनिर्दिष्ट करें)	0
और जोड़ें									

कारबार द्वारा भुग	ातान किए जाने वाला माल/सेवा का	<u>ब</u> ्यौरा							
क्रम संख्या	माल का ब्यौरा						एचएसएन कोड		
						, , , , , , , , ,			
क्रम संख्या	सेवा का ब्यौरा					एचएसएन कोड			
						, , , , , , , , , ,			
13. कारबार व	<u>।</u> वलाने के लिए आपके द्वारा रखे गए र्	 कुल बैंक खाते							
क्रम संख्या	खाता संख्या	खाता का प्रकार			शाखा का खाता				
				-147.17.11					
14. मालिक/र	। प्रभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक अं	। ौर पूर्णकालिक निदे	। शक/संगम की	प्रबंध समि	। पित के सदस्य/न्यासी	। बोर्ड इत्यादि के ब्र	यौरे		
नाम		प्रथम नाम	1	मध्य नाम			फोटो		
पिता/पति का ना	т	प्रथम नाम	मध्य नाग	ī		अंतिम नाम			
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग			पुरुष, स्त्री, अन्य				
मोबाईल संख्या			ई-मेल प	ई-मेल पता					
टेलीफोन संख्या									
पहचान सूचना		.	.			1			
पदनाम		निदेशक पहन	निदेशक पहचान संख्या						
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्य	ग						
ब्या आप भारत के नागरिक हैं		हां या नहीं		पासपो	 र्ट संख्या				
निवास का पता			1						
भवन/फ्लैट संख्य			मंजिल संख्या						
परिसर/भवन का	नाम			सड़क/गली					
स्थान/ग्राम				जिला					
राज्य				पिन कोड					
15. प्राथमिक प्र	धिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे			1					
नाम		प्रथम नाम	मध्य नाग	मध्य नाम		अंतिम नाम	फोटो		
पिता/पति का नाम		प्रथम नाम	मध्य नाग	मध्य नाम		अंतिम नाम			
जन्म तिथि		दिन/मास/वर्ष	र्व लिंग	लिंग पुरुष, स्त्री, अन		य			
मोबाईल संख्या			ई-मेल प	ई-मेल पता					
टेलीफोन संख्या			'			· '			
पहचान सूचना									

पदनाम		निदेशक पहचान संख्या				
स्थायी खाता संख्या	आधार संख्या					
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं		पासपोर्ट स	संख्या	1	
निवास का पता						
भवन/फ्लैट संख्या			मंजिल संर	ख्या		
परिसर/भवन का नाम			सड़क/गल	नी		
स्थान/ग्राम			जिला			
राज्य			पिन कोड			
और जोड़ें	•					
अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची 14. अपेक्षित है, सूची में (अनुदेश देंखे) में प्रत्येक प्रविष्टि के स प्रदत्त आधार संख्याओं के धारकों के निमित्त माल और सहमति देता हूं। माल और सेवा कर नैटवर्क ने मुझे सूचित तथा अभिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान उ 17. मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता हूं कि इ गया है।	ामने अपलोड सुसं सेवा कर नैटवर्क कर दिया है कि प डाटा रक्षण के साध	ंगत दस्ताके को अधिप्र हचान सूचन थ साझा की	ज के लिए उ माणन के प्र गा आधार धा जाएगी।	उपबंध के साथ स्वत योजन के लिए यूअ गरक की पहचान को	: आ जाने गाईडीएआई ा वैधता के	ई से ब्यौरे प्राप्त करने की लिए प्रयोग किया जाएगा
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम			ŧ	स्थान		
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम			f	तिथि		

नामांकन के लिए आवेदन को फाइल करने के लिए अनुदेश

- 1. प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या निवेश सेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा संख्या रखता है, उसके ई-मेल और मोबाइल संख्या वैधता द्वारा समान पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा।
- 2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और प्ररूप जी. एस. टी. आर. ई. जी. 25 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान संख्या होगी को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 3. अधिप्रमाणन प्ररूप –

आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों के संकल्प प्रति निम्नलिखित फोरमेट में फाइल की जाएगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1

(मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे)

- 1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे
- 2.
- 3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, मै सत्यानिष्ठा से यह प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता हूं कि माल और सेवा पहचान संख्या – कारबार का नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूं जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 20 – के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना है /रजिस्ट्रीकृत है।

इस कारोबार के संबंध में उसके सभी कृत्य मुझ /हम पर बाध्यकारी हैं।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि हैं।

क्रम संख्या	पूरा नाम	पदनाम / हासयत हस्ताक्षर	
1.			
2.			
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर	र्गा के रूप में स्वीकृति		
मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरव और मेरे सभी कार्य क	• (न् ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं में।	
		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	
		पदनाम/हैसियत	
तिथि :			
स्थान :			

आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- जीएसटी पोर्टल पर लाग इन के लिए राज्य/वाणिज्यकर /केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर विभाग द्वारा यथा प्रदत्त अपनी अनंतिम पहचान और पासवर्ड
 प्रविष्ट करें।
- प्राथिमक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सही ई-मेल, पता और मोबाइल संख्या दिए जाएं। ई-मेल पता और मोबाइल पते प्राथिमक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क सूचना के रूप में भरे जाएं।
- पृथक वन टाइम पासवर्ड द्वारा सत्यापित किए जाएं। करदाता प्रथम लाग इन के पश्चात् अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बदल लेगा।
- करदाता को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड कारबार का मूल स्थान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरों के संबंध में आवेदन प्ररूप में अपेक्षित सूचनाएं भरना अपेक्षित होगा।
- माल और सेवाओं (ऊपर की पांच) के संबंध में सेवाओं के लिए कारबार के अतिरिक्त, बैंक खाता वस्तुओं से संबंधित सूचना भरी जाना भी अपेक्षित है।
- आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है।
- विनिर्दिष्ट संलग्नक के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करने की दशा में आवेदक को मालिक/सभी
 साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन
 की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है।
- साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे –

1.	आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस)
	मालिकाना संबंध- मालिक
	साझेदारी फर्म /सीमित दायित्व साझेदारी - प्रबंध /प्राधिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंध साझेदार को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं।
	हिन्दू अविभक्त कुटुंब - कर्ता
	कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति
	न्यास -प्रबंध न्यासी
	व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं।)
	स्थानीय निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य
	कानूनी निकाय
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य
	अन्य – कार्यसाधक व्यक्ति
2.	कारबार का गठन – साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विलेख, सिमिति, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र /सबूत।
3.	कारबार के मूल /अतिरिक्त स्थान का सबूत (क) अपने परिसर के लिए –
	परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विघुत बिल की प्रति (ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए –
	पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किराए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विघुत बिल की प्रति
	(ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए –
	सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामीत्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत बिल प्रति । साझेदार संपत्तियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे

4	बैंक खाते से संबंधित सबूत
	बैंक पासबुक⁄बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्केन की हुई प्रति
	बैक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/संबंधित कारबार, खाता संख्या, खाता धारक का नाम, एमआईसीआर और आईएफएससी और शाखा ब्यौरे हों।
5	प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए – प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों का प्राधिकरण पत्र या संकल्प की प्रति जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों

 सूचना इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी। निम्निलिखित व्यक्ति नामांकन के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं -

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजीटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत साझीदार
हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समिति /क्लब /न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
लोक सैक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनिलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
संवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

• आवेदन अनिवार्य रूप से डिजीटल हस्ताक्षरित निम्नलिखित रूप में होने चाहिए -

क्रम संख्या	आवेदक का प्रकार	डिजीटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त
	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	
	लोक सैक्टर उपक्रम	
	अनलिमिटेड कंपनी	

	सीमित दायित्व भागीदारी	
	विदेशी कंपनी	
	विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त
		ई-हस्ताक्षर

टिप्पणी .— 1. आवेदक से समान पोर्टल पर अपने डीएससी. को रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित होगा।

2. ई-हस्ताक्षर सुविधा आधार धारकों के लिए समान पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक, पहचान संख्या, चालान, पहचान संख्या, सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचनाएं सिस्टम द्वारा आनलाईन विधिमान्य किया जाएगा और पावती निदेश संख्या भरी गई सभी सुचनाओं के सफलतापूर्वक विधिमान्य होने के पश्चात् सृजित होंगी। आनलाइन भरे गए आवेदन की प्रास्थिति समान पोर्टल पर देखी जा सकेगी।

- 1. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए।
- 2. नामांकन के लिए आवेदन भरने हेतु कोई शुल्क लागू नहीं होगा।

अभिस्विकृति

नामांकन आवेदन – जी. एस. टी. प्ररूप – आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर. एन.)---- के विरुद्ध फाइल की गई
प्ररूप संख्या : <.....>
प्ररूप विवरण : <विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन>
फाइल करने की तिथि : <दिन/मास/वर्ष>
करदाता का व्यापारिक नाम : <व्यापारिक नाम>

करदाता का विधिक नाम : <राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा विधिक नाम

अनंतिम पहचान संख्या अनंतिम पहचान संख्या यह सिस्टम से सृजित पावती है और इसमें हस्ताक्षर होना अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-27

/देखिए नियम 24(3)]

संदर्भ संख्या	<तिथि-दिन/मास/वर्ष>>
सेवा में,	
अनंतिम पहचान	
नाम	
पता	
आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.) < >	<तिथि-दिन/मास/वर्ष>>
अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कारण बताओ नो	टिस
अपने आवेदन तिथिका संदर्भ लें। आवेदन का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित क	जरणों से यह संतोषप्रद नहीं पाया गया:-
1	
2	
 आपको यह निदेश दिया जाता है कि आपको प्रदत्त अनंतिम प्रमाणपत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए, बताएं।	
	हस्ताक्षर
	समुचित प्राधिकारी का नाम
	पदनाम अधिकारिता
	-44 0000
तिथि	
स्थान	

प्ररूप जीएसटी आरईजी-28

/देखिए नियम 24(3)]

		1419(1114	1 24(3)]		
संदर्भ संख्या				<तिथि	य-दिन/मास/वर्ष>>
सेवा में,					
पहचान					
नाम					
पता					
माल और सेवा कर पहचान संख	ज्या /अनंतिम पहचान ज्या				
आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.ए	ए न.)< >	<तिथि-दिन/म	ास/वर्ष>>		
		अनंतिम रजिस्ट्रीकरा	ण के रद्दकरण के लिए आ	देश	
कारण बताओ नोटि	ट्रेस तिथि के	ह संबंध में आपके उत्तर वि	तेथि के संदर्भ में		
🔲 - कारण बताओ नोटिस	। का उत्तर नहीं दिया गया	है; या			
🛘 - सुनवाई के लिए नियत	त दिन पर आप उपस्थित	नहीं हुए; या			
	पके उत्तर और सुनवाई के रद्द किए जाने का दायी है		का परीक्षण किया और उनव	का विचार यह है कि आप [्]	का अनंतिम रजस्ट्रीकरण
1.					
2.					
अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्द	करण के अनुसरण में भु	गतानायोग्य राशि का	अवधारण		
तदनुसार आपके द्वारा भुगतानये	-				
अापसे यह अपेक्षा की जाती है				जसके असफल होने पर रा	शि इस अधिनियम और
उसके अधीन बनाए हुए नियमों			6 3		
शीर्ष	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य कर	समेकित कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					
हस्ताक <u>्ष</u> र					
	< अधिकारी का नाम>				
तिथि:					
स्थान: अधिकारिता					

प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-29

[देखिए नियम 24(4)]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

भाग अ

(i) अनंतिम आई डी				
(ii) ईमेल आई डी				
(iii) मोबाईल नंबर				
		भाग	:आ	
1. विधिक नाम (स्थाई र	व्राता संख्या के अनुसार)			
2. पत्र-व्यवहार के लिए पत	Т			
भवन संख्या/ फ्लैट संख्या			मंजिल संख्या	
परिसर का नाम/भवन			सड़क/गली	
शहर/कस्बा / गांव/परिक्षेत्र			जिला	
ब्लाक/ताल्लुका				
राज्य			3. रद्दकरण के लिए कारण	
1. जी.एस.टी अवधि के दौरान किसी कर बीजक को आपने जारी किया है हां 🔲 नहीं 🔲				
2. घोषणा				
(i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्राधि अधीन मैं रजिस्ट्रीकरण के लि		फ नाम> के < ^ए	गदनाम > के रुप में इसके द्वारा घोषणा करता हृं	्कि अधिनियम के उपबंधों के
6.सत्यापन				
मैं < > सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान नहीं गया है।	न और घोषणा करता हूं कि यहां उप	गर दी गई सूच [्]	ना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही औ	र सत्य है और कुछ भी छिपाया
आधार संख्या		स्थाई खाता	संख्या	
			प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर	
पूरा नाम				
पदनाम/हैसियत				
तिथि				
स्थान			तिथि/मास/वर्ष	

प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-30

[देखिए नियम 25]

क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्ररुप

केन्द्रीय अधिकारिता (वार्ड/सर्किल/जोन)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा जाए >> रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि:-करादेय व्यक्ति का नाम जी एस टी आई एन/यू आई एन – द्वारा समनुदेशित कार्य:- < अधिकारी का नाम- पहले भरा जाए> समनुदेशित कार्य की तिथि और समय:- < प्रणाली तिथि और समय>

क्रम संख्या	विशिष्टियां	ईनपुट
1.	निरीक्षण की तिथि	
2.	निरीक्षण का समय	
3.	अवस्थान ब्यौरा	
	उत्तर–द्वारा आबद्ध	दक्षिण– द्वारा आबद्ध
	पश्चिम– द्वारा आबद्ध	पूर्व- द्वारा आबद्ध
4.	क्या पता वहीं है जैसा आवेदन में वर्णित है	हां/नही
5.	निरीक्षण के समय उपलब्ध व्यक्ति की विशिष्टियां	
(i)	नाम	
(ii)	पिता का नाम	
(iii)	आवासीय पता	
(iv)	मोबाईल संख्या	
(v)	पदनाम/प्रतिष्ठा	
(vi)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की कार्यकरण की प्रास्थिति	कार्यकरण- हां/नही
7.	परिसर का ब्यौरा	
8.	खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
9.	छत्तदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
10.	तल जिस पर कारबार परिसर स्थित है	
11.	स्थापित दस्तावेज	हां/नही
12.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर मौजूद है जहां स्थल क	सत्यापन किया गया, का फोटो अपलोड करना।
13.	टिप्पणी 1000 शब्दों<से अनधिक>	
		हस्ताक्षर
		< अधिकारी का नाम>
	स्थान:	पदनाम
	तिथि:	अधिकारिता

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd June, 2017

No. 25/ST–2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, and commencement.

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force with effect from the 22nd June, 2017.

Definitions.

- 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017);
 - (b) "FORM" means a Form appended to these rules;
 - (c) "section" means a section of the Act;
 - (d) "Special Economic Zone" shall have the same meaning as assigned to it in clause (za) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 20050 (28 of 2005);
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

COMPOSITION RULES

Intimation for composition levy

3. (1) Any person who has been granted registration on a provisional basis under clause (b) of sub-rule (1) of rule 24 and who opts to pay tax under section 10, shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-01**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the appointed day, but not later than thirty days after the said day, or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf:

Provided that where the intimation in **FORM GST CMP-01** is filed after the appointed day, the registered person shall not collect any tax from the appointed day but shall issue bill of supply for supplies made after the said day.

- (2) Any person who applies for registration under sub-rule (1) of rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of **FORM GST REG-01**, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.
- (3) Any registered person who opts to pay tax under section 10 shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-02**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the commencement of the financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of sixty days from the commencement of the relevant financial year.
- (4) Any person who files an intimation under sub-rule (1) to pay tax under section 10 shall furnish the details of stock, including the inward supply of goods received from unregistered persons, held by him on the day preceding the date from which he opts to pay tax under the said section, electronically, in **FORM GST CMP-03**, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, within a period of sixty days from the date on which the option for composition levy is exercised or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.

- (5) Any intimation under sub-rule (1) or sub-rule (3) in respect of any place of business in any State or Union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.
- **4.** (1) The option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the financial year, where the intimation is filed under sub-rule (3) of rule 3 and the appointed day where the intimation is filed under sub-rule (1) of the said rule.

Effective date for composition levy.

Conditions and restrictions for

composition levy.

- (2) The intimation under sub-rule (2) of rule 3, shall be considered only after the grant of registration to the applicant and his option to pay tax under section 10 shall be effective from the date fixed under sub-rule (2) or (3) of rule 10.
- **5.** (1) The person exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions, namely:-
 - (a) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person;
 - (b) the goods held in stock by him on the appointed day have not been purchased in the course of inter-State trade or commerce or imported from a place outside India or received from his branch situated outside the State or from his agent or principal outside the State, where the option is exercised under sub-rule (1) of rule 3;
 - (c) the goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier and where purchased, he pays the tax under subsection (4) of section 9;
 - (d) he shall pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 on inward supply of goods or services or both;
 - (e) he was not engaged in the manufacture of goods as notified under clause (e) of sub-section (2) of section 10, during the preceding financial year;
 - (f) he shall mention the words "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies" at the top of the bill of supply issued by him; and
 - (g) he shall mention the words "composition taxable person" on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and at very additional place or places of business.
- (2) The registered person paying tax under section 10 may not file a fresh intimation every year and he may continue to pay tax under the said section subject to the provisions of the Act and these rules.
- **6.** (1) The option exercised by a registered person to pay tax under section 10 shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section and under these rules.

Validity of composition levy.

- (2) The person referred to in sub-rule (1) shall be liable to pay tax under sub-section (1) of section 9 from the day he ceases to satisfy any of the conditions mentioned in section 10 or the provisions of this Chapter and shall issue tax invoice for every taxable supply made thereafter and he shall also file an intimation for withdrawal from the scheme in **FORM GST CMP-04** within seven days of the occurrence of such event.
- (3) The registered person who intends to withdraw from the composition scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in **FORM GST CMP-04**, duly signed or verified through electronic verification code, electronically on the common portal.
- (4) Where the proper officer has reasons to believe that the registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provisions of the Act or provisions of this Chapter, he may issue a notice to such person in **FORM GST CMP-05** to show cause within fifteen days of the receipt of such notice as to why the option to pay tax under section 10 shall not be denied.
- (5) Upon receipt of the reply to the show cause notice issued under sub-rule (4) from the registered person in **FORM GST CMP-06**, the proper officer shall issue an order in **FORM GST CMP-07** within a period of thirty days of the receipt of such reply, either accepting the reply, or denying the option to pay tax under section 10 from the date of the option or from the date of the event concerning such contravention, as the case may be.

- (6) Every person who has furnished an intimation under sub-rule (2) or filed an application for withdrawal under sub-rule (3) or a person in respect of whom an order of withdrawal of option has been passed in **FORM GST CMP-07** under sub-rule (5), may electronically furnish at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, a statement in **FORM GST ITC-01** containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn or denied, within a period of thirty days from the date from which the option is withdrawn or from the date of the order passed in **FORM GST CMP-07**, as the case may be.
- (7) Any intimation or application for withdrawal under sub-rule (2) or (3) or denial of the option to pay tax under section 10 in accordance with sub-rule (5) in respect of any place of business in any State or Union territory, shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.

Rate of tax of the composition levy.-

7. The category of registered persons, eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter, specified in column (2) of the Table below shall pay tax under section 10 at the rate specified in column (3) of the said Table:-

Sl. No.	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(2)	(3)
1	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	one per cent.
2	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent.
3	Any other supplier eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter	half per cent.

CHAPTER III

REGISTRATION

Application for registration

8. (1) Every person, other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as "the applicant") shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, mobile number, e-mail address, State or Union territory in **Part A** of **FORM GST REG-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person having a unit(s) in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall make a separate application for registration as a business vertical distinct from his other units located outside the Special Economic Zone:

Provided further that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor.

- (2) (a) The Permanent Account Number shall be validated online by the common portal from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes.
 - (b) The mobile number declared under sub-rule (1) shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number; and
 - (c) The e-mail address declared under sub-rule (1) shall be verified through a separate one-time password sent to the said e-mail address.
- (3) On successful verification of the Permanent Account Number, mobile number and e-mail address, a temporary reference number shall be generated and communicated to the applicant on the said mobile number and e-mail address.

- (4) Using the reference number generated under sub-rule (3), the applicant shall electronically submit an application in **Part B** of **FORM GST REG-01**, duly signed or verified through electronic verification code, along with the documents specified in the said Form at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (5) On receipt of an application under sub-rule (4), an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in **FORM GST REG-02**.
- (6) A person applying for registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) shall be issued electronically only after the said deposit.
- **9.** (1) The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of three working days from the date of submission of the application.

Verification of the application and approval.

- (2) Where the application submitted under rule 8 is found to be deficient, either in terms of any information or any document required to be furnished under the said rule, or where the proper officer requires any clarification with regard to any information provided in the application or documents furnished therewith, he may issue a notice to the applicant electronically in FORM GST REG-03 within a period of three working days from the date of submission of the application and the applicant shall furnish such clarification, information or documents electronically, in FORM GST REG-04, within a period of seven working days from the date of the receipt of such notice.
- **Explanation.** For the purposes of this sub-rule, the expression "clarification" includes modification or correction of particulars declared in the application for registration, other than Permanent Account Number, State, mobile number and e-mail address declared in **Part A** of **FORM GST REG-01**.
- (3) Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or documents furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of seven working days from the date of the receipt of such clarification or information or documents.
- (4) Where no reply is furnished by the applicant in response to the notice issued under sub-rule (2) or where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, he shall, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in **FORM GST REG-05.**
 - (5) If the proper officer fails to take any action, -
 - (a) within a period of three working days from the date of submission of the application; or
 - (b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.

10. (1) Subject to the provisions of sub-section (12) of section 25, where the application for grant of registration has been approved under rule 9, a certificate of registration in **FORM GST REG-06** showing the principal place of business and additional place or places of business shall be made available to the applicant on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number shall be assigned subject to the following characters, namely:-

Issue of registration certificate

- (a) two characters for the State code;
- (b) ten characters for the Permanent Account Number or the Tax Deduction and Collection Account Number;
- (c) two characters for the entity code; and
- (d) one checksum character.

- (2) The registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration where the application for registration has been submitted within a period of thirty days from such date.
- (3) Where an application for registration has been submitted by the applicant after the expiry of thirty days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of registration shall be the date of the grant of registration under sub-rule (1) or sub-rule (3) or sub-rule (5) of rule 9.
- (4) Every certificate of registration shall be digitally signed by the proper officer under the Act.
- (5) Where the registration has been granted under sub-rule (5) of rule 9, the applicant shall be communicated the registration number, and the certificate of registration under sub-rule (1), duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to him on the common portal, within a period of three days after the expiry of the period specified in sub-rule (5) of rule 9.
- 11. (1) Any person having multiple business verticals within a State or a Union territory, requiring a separate registration for any of its business verticals under sub-section (2) of section 25 shall be granted separate registration in respect of each of the verticals subject to the following conditions, namely:-
 - (a) such person has more than one business vertical as defined in clause (18) of section 2:
 - (b) the business vertical of a taxable person shall not be granted registration to pay tax under section 10 if any one of the other business verticals of the same person is paying tax under section 9;
 - (c) all separately registered business verticals of such person shall pay tax under the Act on supply of goods or services or both made to another registered business vertical of such person and issue a tax invoice for such supply.
- **Explanation.** For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where any business vertical of a registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all other business verticals of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section.
- (2) A registered person eligible to obtain separate registration for business verticals may submit a separate application in FORM GST REG-01 in respect of each such vertical.
- (3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.
- 12. (1) Any person required to deduct tax in accordance with the provisions of section 51 or a person required to collect tax at source in accordance with the provisions of section 52 shall electronically submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, in **FORM GST REG-07** for the grant of registration through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The proper officer may grant registration after due verification and issue a certificate of registration in **FORM GST REG-06** within a period of three working days from the date of submission of the application.
- (3) Where, upon an enquiry or pursuant to any other proceeding under the Act, the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration in **FORM GST REG-06** has been issued is no longer liable to deduct tax at source under section 51 or collect tax at source under section 52, the said officer may cancel the registration issued under sub-rule (2) and such cancellation shall be communicated to the said person electronically in **FORM GST REG-08**:

Provided that the proper officer shall follow the procedure as provided in rule 22 for the cancellation of registration.

Separate registration for multiple business verticals within a State or a Union territory

Grant of registration to persons required to deduct tax at source or to collect tax at source. 13. (1) A non-resident taxable person shall electronically submit an application, along with a self-attested copy of his valid passport, for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in **FORM GST REG-09**, at least five days prior to the commencement of business at the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Grant of registration to non-resident taxable person

Provided that in the case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or its Permanent Account Number, if available.

- (2) A person applying for registration as a non-resident taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making an advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) of rule 8 shall be issued electronically only after the said deposit in his electronic cash ledger.
- (3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.
- (4) The application for registration made by a non-resident taxable person shall be signed by his authorised signatory who shall be a person resident in India having a valid Permanent Account Number.
- **14.** (1) Any person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient shall electronically submit an application for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in **FORM GST REG-10**, at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The applicant referred to in sub-rule (1) shall be granted registration, in **FORM GST REG-06**, subject to such conditions and restrictions and by such officer as may be notified by the Central Government on the recommendations of the Council.
- **15.** (1) Where a registered casual taxable person or a non-resident taxable person intends to extend the period of registration indicated in his application of registration, an application in **FORM GST REG-11** shall be submitted electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, by such person before the end of the validity of registration granted to him.
- (2) The application under sub-rule (1) shall be acknowledged only on payment of the amount specified in sub-section (2) of section 27.
- **16.** (1) Where, pursuant to any survey, enquiry, inspection, search or any other proceedings under the Act, the proper officer finds that a person liable to registration under the Act has failed to apply for such registration, such officer may register the said person on a temporary basis and issue an order in **FORM GST REG-12**.
- (2) The registration granted under sub-rule (1) shall be effective from the date of such order granting registration.
- (3) Every person to whom a temporary registration has been granted under sub-rule (1) shall, within a period of ninety days from the date of the grant of such registration, submit an application for registration in the form and manner provided in rule 8 or rule 12:

Provided that where the said person has filed an appeal against the grant of temporary registration, in such case, the application for registration shall be submitted within a period of thirty days from the date of the issuance of the order upholding the liability to registration by the Appellate Authority.

- (4) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to verification and the issue of the certificate of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under sub-rule (3).
- (5) The Goods and Services Tax Identification Number assigned, pursuant to the verification under sub-rule (4), shall be effective from the date of the order granting registration under sub-rule (1).

Grant of registration to a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a nontaxable online recipient

Extension in period of operation by casual taxable person and nonresident taxable person

Suo moto registration

Assignment of Unique Identity Number to certain special entities

- 17. (1) Every person required to be granted a Unique Identity Number in accordance with the provisions of sub-section (9) of section 25 may submit an application electronically in FORM GST REG-13, duly signed or verified through electronic verification code, in the manner specified in rule 8 at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The proper officer may, upon submission of an application in **FORM GST REG-13** or after filling up the said form, assign a Unique Identity Number to the said person and issue a certificate in **FORM GST REG-06** within a period of three working days from the date of the submission of the application.
- **18.** (1) Every registered person shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal place of business and at every additional place or places of business.
- (2) Every registered person shall display his Goods and Services Tax Identification Number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place or places of business.
- 19. (1) Where there is any change in any of the particulars furnished in the application for registration in FORM GST REG-01 or FORM GST REG-07 or FORM GST REG-09 or FORM GST REG-10 or for Unique Identity Number in FORM GST-REG-13, either at the time of obtaining registration or Unique Identity Number or as amended from time to time, the registered person shall, within a period of fifteen days of such change, submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, electronically in FORM GST REG-14, alongwith the documents relating to such change at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that – (a) where the change relates to,-

- (i) legal name of business;
- (ii) address of the principal place of business or any additional place(s) of business; or
- (iii) addition, deletion or retirement of partners or directors, Karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for the day to day affairs of the business,-

which does not warrant cancellation of registration under section 29, the proper officer shall, after due verification, approve the amendment within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in **FORM GST REG-14** and issue an order in **FORM GST REG-15** electronically and such amendment shall take effect from the date of the occurrence of the event warranting such amendment;

- (b) the change relating to sub-clause (i) and sub-clause (iii) of clause (a) in any State or Union territory shall be applicable for all registrations of the registered person obtained under the provisions of this Chapter on the same Permanent Account Number;
- (c) where the change relates to any particulars other than those specified in clause (a), the certificate of registration shall stand amended upon submission of the application in **FORM GST REG- 14** on the common portal;
- (d) where a change in the constitution of any business results in the change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall apply for fresh registration in **FORM GST REG-01**:

Provided that any change in the mobile number or e-mail address of the authorised signatory submitted under this rule, as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided under the said rule.

(2) Where the proper officer is of the opinion that the amendment sought under sub-rule (1) is either not warranted or the documents furnished therewith are incomplete or incorrect, he may, within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in **FORM GST REG-14**, serve a notice in **FORM GST REG-03**, requiring the registered person to show cause, within a period of seven working days of the service of the said notice, as to why the application submitted under sub-rule (1) shall not be rejected.

Display of registration certificate and Goods and Services Tax Identification Number on the name board Amendment of registration

- (3) The registered person shall furnish a reply to the notice to show cause, issued under sub-rule (2), in **FORM GST REG-04**, within a period of seven working days from the date of the service of the said notice.
- (4) Where the reply furnished under sub-rule (3) is found to be not satisfactory or where no reply is furnished in response to the notice issued under sub-rule (2) within the period prescribed in sub-rule (3), the proper officer shall reject the application submitted under sub-rule (1) and pass an order in **FORM GST REG -05**.
 - (5) If the proper officer fails to take any action,-
 - (a) within a period of fifteen working days from the date of submission of the application, or
 - (b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the reply to the notice to show cause under sub-rule (3),

the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal.

20. A registered person, other than a person to whom a registration has been granted under rule 12 or a person to whom a Unique Identity Number has been granted under rule 17, seeking cancellation of his registration under sub-section (1) of section 29 shall electronically submit an application in FORM GST REG-16, including therein the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and of capital goods held in stock on the date from which the cancellation of registration is sought, liability thereon, the details of the payment, if any, made against such liability and may furnish, along with the application, relevant documents in support thereof, at the common portal within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Application for cancellation of registration

Provided that no application for the cancellation of registration shall be considered in case of a taxable person, who has registered voluntarily, before the expiry of a period of one year from the effective date of registration.

21. The registration granted to a person is liable to be cancelled, if the said person,

the service of such notice, as to why his registration shall not be cancelled.

- (a) does not conduct any business from the declared place of business; or
- (b) issues invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder.

Registration to be cancelled in certain cases

22. (1) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29, he shall issue a notice to such person in **FORM GST REG-17**, requiring him to show cause, within a period of seven working days from the date of

Cancellation of registration

- (2) The reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) shall be furnished in **FORM REG-18** within the period specified in the said sub-rule.
- (3) Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in **FORM GST REG-19**, within a period of thirty days from the date of application submitted under sub-rule (1) of rule 20 or, as the case may be, the date of the reply to the show cause issued under sub-rule (1), cancel the registration, with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person, directing him to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under sub-section (5) of section 29.
- (4) Where the reply furnished under sub-rule (2) is found to be satisfactory, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST REG –20**.
- (5) The provisions of sub-rule (3) shall, *mutatis mutandis*, apply to the legal heirs of a deceased proprietor, as if the application had been submitted by the proprietor himself.
- 23. (1) A registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may submit an application for revocation of cancellation of registration, in **FORM GST REG-21**, to such proper officer, within a period of thirty days from the date of the service of the order of cancellation of registration at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Revocation of cancellation of registration

Provided that no application for revocation shall be filed, if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns, unless such returns are furnished and any amount due as tax, in terms of such returns, has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the said returns.

- (2) (a) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that there are sufficient grounds for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in **FORM GST REG-22** within a period of thirty days from the date of the receipt of the application and communicate the same to the applicant.
 - (b) The proper officer may, for reasons to be recorded in writing, under circumstances other than those specified in clause (a), by an order in **FORM GST REG-05**, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant.
- (3) The proper officer shall, before passing the order referred to in clause (b) of sub-rule (2), issue a notice in **FORM GST REG-23** requiring the applicant to show cause as to why the application submitted for revocation under sub-rule (1) should not be rejected and the applicant shall furnish the reply within a period of seven working days from the date of the service of the notice in **FORM GST REG-24**.
- (4) Upon receipt of the information or clarification in **FORM GST REG-24**, the proper officer shall proceed to dispose of the application in the manner specified in sub-rule (2) within a period of thirty days from the date of the receipt of such information or clarification from the applicant.

Migration of persons registered under the existing law

- 24. (1) (a) Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enrol on the common portal by validating his e-mail address and mobile number, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
 - (b) Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in FORM GST REG-25, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:

Provided that a taxable person who has been granted multiple registrations under the existing law on the basis of a single Permanent Account Number shall be granted only one provisional registration under the Act:

Provided further that a person having centralised registration under the provisions of Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) shall be granted only one provisional registration in the State or Union territory in which he is registered under the existing law.

- (2) (a) Every person who has been granted a provisional registration under sub-rule (1) shall submit an application electronically in FORM GST REG-26, duly signed or verified through electronic verification code, alongwith the information and documents specified in the said application, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
 - (b) The information asked for in clause (a) shall be furnished within a period of three months or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.
 - (c) If the information and the particulars furnished in the application are found, by the proper officer, to be correct and complete, a certificate of registration in FORM GST REG-06 shall be made available to the registered person electronically on the common portal.

(3) Where the particulars or information specified in sub-rule (2) have either not been furnished or not found to be correct or complete, the proper officer shall, after serving a notice to show cause in **FORM GST REG-27** and after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, cancel the provisional registration granted under sub-rule (1) and issue an order in **FORM GST REG-28**:

Provided that the show cause notice issued in **FORM GST REG-27** can be withdrawn by issuing an order in **FORM GST REG-20**, if it is found, after affording the person an opportunity of being heard, that no such cause exists for which the notice was issued.

- (4) Every person registered under any of the existing laws, who is not liable to be registered under the Act may, within a period of thirty days from the appointed day, at his option, submit an application electronically in **FORM GST REG-29** at the common portal for the cancellation of registration granted to him and the proper officer shall, after conducting such enquiry as deemed fit, cancel the said registration.
- 25. Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a registered person is required after the grant of registration, he may get such verification done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.

Physical verification of business premises in certain cases

26. (1) All applications, including reply, if any, to the notices, returns including the details of outward and inward supplies, appeals or any other document required to be submitted under the provisions of these rules shall be so submitted electronically with digital signature certificate or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf:

Method of authentication

Provided that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall furnish the documents or application verified through digital signature certificate.

- (2) Each document including the return furnished online shall be signed or verified through electronic verification code-
 - (a) in the case of an individual, by the individual himself or where he is absent from India, by some other person duly authorised by him in this behalf, and where the individual is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;
 - (b) in the case of a Hindu Undivided Family, by a Karta and where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family or by the authorised signatory of such Karta;
 - (c) in the case of a company, by the chief executive officer or authorised signatory thereof;
 - (d) in the case of a Government or any Governmental agency or local authority, by an officer authorised in this behalf;
 - (e) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor or authorised signatory thereof;
 - (f) in the case of any other association, by any member of the association or persons or authorised signatory thereof;
 - (g) in the case of a trust, by the trustee or any trustee or authorised signatory thereof; or
 - (h) in the case of any other person, by some person competent to act on his behalf, or by a person authorised in accordance with the provisions of section 48.
- (3) All notices, certificates and orders under the provisions of this Chapter shall be issued electronically by the proper officer or any other officer authorised to issue such notices or certificates or orders, through digital signature certificate specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

Form GST CMP -01

[See rule 3(1)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy)

(Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1.	GSTIN / Provisional ID									
2.	Legal name									
3.	Trade name, if any									
4.	Address of Principal Place of Business									
5.	Category of Registered Person < Select from	n drop down>								
	(i) Manufacturers, other than manufacture the Government	rs of such goods as notified	by							
	(ii) Suppliers making supplies referred to in Schedule II	n clause (b) of paragraph 6	5 of							
	(iii) Any other supplier eligible for composi	ition levy.								
6. Financial Year from which composition scheme is opted 2017-18										
7.	Jurisdiction	Centre	State							
	Declaration – reby declare that the aforesaid business shall a under section 10.	abide by the conditions and	l restri	ctions specified for payment of						
9.	Verification									
I here	inabove is true and correct to the best of my ki			clare that the information given has been concealed therefrom.						
		Signature	of Au	uthorised Signatory						
Plac	e		N	lame						
Date	,	D	esigna	tion / Status						

Form GST CMP -02

[See rule 3(2)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy)

(For persons registered under the Act)

1.	GSTI	N								
2.	Legal	name								
3.	Trade	e name, if any								
4.	Addre	ess of Principal Place of Business								
5.	Category of Registered Person < Select from drop down>.									
	(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government									
	(ii)	Suppliers making supplies referred to in clau Schedule II								
	(iii)	Any other supplier eligible for composition le								
6.	Finan	cial Year from which composition scheme is op	ted							
7.	Jurisd	liction	Centre		State	ute				
		eclare that the aforesaid business shall abide by on 10.	the condit	ions and restri	ctions s	specified for paying tax				
				Signature of	Autho	rised Signatory				
Plac	e				Nam	e				
Date	•			Desig	gnation	/ Status				

Total

Form GST -CMP-03

[See rule 3(4)]

Intimation of details of stock on date of opting for composition levy

	(Only for	r persons reg	gistei	red und	er the	e existi	ing law migrati	ng on the a	ppointed of	day)	
1. GS	STIN										
2. Le	egal name										
3. Tr	ade name, if any										
4. Ac	ddress of Principa	al Place of B	usin	ess							
	etails of application 10	on filed to p	ay ta	x under	•	(i)	Application r	eference nu	mber		
sec	cuon 10					(ii)	Date of filing				
6. Jurisc	liction					Cer	ntre			State	
7. Stock	of purchases mad	de from regis	stere	d perso	n unc	der the	existing law				
Sr. No.	GSTIN/TIN	Name of the supplier	ne	Bill/ Invoic No.		Date	Value of Stock		Central Excise	Service Tax (if applica ble)	Total
1	2	3		4	4		6	7	8	9	10
1											
2											
Total											
8. Stock	of purchases mad	le from unre	giste	ered per	son ı	under t	the existing law	V	I		
Sr. No.	Name of the unregistered person	Address	Bil Inv No	voice	Dat	te	Value of Stock	VAT	Central Excise	Service Tax (if applica ble	Total
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
1											
2											

9. Details of tax paid	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax
	Amount		
	Debit entry No.		
0. Verification nformation given hereinaboreen concealed therefrom.	here ve is true and correct to the b		m and declare that the e and belief and nothing has
		Signature of Aut	thorised Signatory
Place		Na	ame
Date		Designati	ion / Status

Form GST - CMP-04

[See rule 6(2)]

Intimation/Application for Withdrawal from Composition Levy

1.	GSTIN							
2.	Legal name							
3.	Trade name, if any							
4.	Address of Principal Place of business							
5.	Category of Registered Person							
	(i) Manufacturers, other than manufacture goods as may be notified by the Govern							
	(ii) Suppliers making supplies referred to it clause (b) of paragraph 6 of Schedule I							
	(iii) Any other supplier eligible for compos							
6.	Nature of Business							
7.	Date from which withdrawal from compositi	on scheme is	s sought	DD	MM	YYYY		
8.	Jurisdiction Centr	re	State					
9.	Reasons for withdrawal from composition sc	cheme						
	Verification In hereinabove is true and correct to the best of the best of the form.		lemnly affirm and ledge and belief a					
			Signature of	Authorise	ed Signato	ory		
Plac	e			Name				
Date			Desig	nation / St	tatus			

Note.— Stock statement may be furnished separately for availing input tax credit on the stock available on the date preceding the date from which composition option is withdrawn in **FORM GST ITC -01**.

Form GST CMP- 05

[See rule 6(4)]

		[500 11110 5(1)]	
Refere	ence No. << >>		<< Date >>
То			
GSTI	N		
Name	;		
Addre	ess		
	Notice for	r denial of option to pay tax u	nder section 10
and re		f the composition scheme under	appears that you have violated the conditions or section 10 of the Act. I therefore propose to g reasons: -
1			
2			
3			
this no		h a reply to this notice within f	Ifteen working days from the date of service of
	You are hereby directed to appear	r before the undersigned on DD	/MM/YYYY at HH/MM.
	I fail to furnish a reply within the s the case will be decided ex parte or		for personal hearing on the appointed date and and on merits
			Signature
			Name of Proper Officer
			Designation
			Jurisdiction
Place Date			

Form GST CMP - 06

[See rule 6(5)]

Reply to the notice to show cause

1.	GSTIN	
2.	Details of the show cause	Reference No.
	notice	Date
3.	Legal name	
4.	Trade name, if any	
5.	Address of the Principal Place of Business	
6.	Reply to the notice	
7.	List of documents uploaded	
8.	Verification	I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of the Authorised Signatory Date Place

Note.—

- 1. The reply should not be more than 500 characters. In case the same is more than 500 characters, then it should be uploaded separately.
- 2. Supporting documents, if any, may be uploaded in PDF format.

Form GST CMP-07

[See rule 6(6)]

Reference No. << >>	Date-
То	
GSTIN	
Name	
Address	
Application Reference No. (ARN)	Date –
Order for acceptance / re	ejection of reply to show cause notice
reference no dated	filed in response to the show cause notice issued vide Your reply has been examined and the same has been found to a under composition scheme shall continue. The said show cause
	or
This has reference to your reply dated reference no dated found to be satisfactory and, therefore, your option t from << >>> for the following reasons:	filed in response to the show cause notice issued vide Your reply has been examined and the same has not been o pay tax under composition scheme is hereby denied with effect
	<< text >>
	or
☐ You have not filed any reply to the show cause	notice; or
☐ You did not appear on the day fixed for hearing	;.
Therefore, your option to pay tax under composition following reasons:	scheme is hereby denied with effect from << date >> for the
	<< Text >>
Date Place	Signature Name of Proper Officer
	Designation Jurisdiction

Form GST REG-01

[See rule 8(1)]

Application for Registration

(Other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51 and a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017)

					Part –A	_					
	1				State	/UT – \(\frac{7}{}	7	Distri	ct – `	∇	
(i)	•	gal Name of the Business:									
	(As	mentioned in Permanent Ac	count	t Number	r)						
(ii)		rmanent Account Number:									
		tter Permanent Account Nur lividual in case of Proprietor				nent Acc	count N	lumber	of		
(iii)	Em	ail Address:									
(iv)	Mo	bile Number :									
Note.		Information submitted abov Authorised signatory filing th									
					Part -B						
1.	T	rade Name, if any									
2.	C	onstitution of Business (Plea	se Se	lect the A	Appropriate)						
(i)	Proj	prietorship		(ii) P	Partnership						
(iii)	Hin	du Undivided Family		(iv) P	Private Limited (Company	7				
(v)	Pub	lic Limited Company		(vi) S	Society/Club/Tru	ıst/Assoc	iation (of Perso	ns		
(vii)	Gov	ernment Department		(viii) P	Public Sector Un	dertakin	g				
(ix)	<u> </u>			(x) L	Limited Liability	Partners	ship				
(xi)	Loc	cal Authority		(xii) S	Statutory Body						
(xiii)		eign Limited Liability nership		(xiv) F	Foreign Compan	y Registe	ered (in	India)			
(xv)	Othe	ers (Please specify)									
3.		Name of the State				District					ì
4.		Jurisdiction			State				Cer	ntre	
				tor, Circl ers (speci	le, Ward, Unit, 6 ify)	etc.					
5.		Option for Composition	Y	es 🗆	No □						
6.	Co	emposition Declaration	•								
the A	ct or	I hereby declare that the the rules for opting to pay ta				•	conditi	ons and	restri	ctions	specified in
6.1	Ca	tegory of Registered Person	< tick	in check	k box>						
	(i)	Manufacturers, other the Government for which of				goods as	may b	e notifi	ed by	y the	
	(ii)	Suppliers making suppli	es ref	ferred to	in clause (b) or	f paragra	ph 6 of	Schedu	le II		
	(iii) Any other supplier elig	gible 1	for comp	osition levy.						

7.	Date of commencement of business			DD/MM/YYYY					
8.	Date on which liability to register arises			DD/MM/YYY	Y				
9.	Are you applying for registration as a casu- person?	al taxable		Yes \square	No				
10.	If selected 'Yes' in Sr. No. 9, period for whe registration is required	hich		From DD/MM/YYY	To Y DD/I	MM/YYYY	7		
11.	If selected 'Yes' in Sr. No. 9, estimated supregistration	pplies and	esti	mated net tax lia	ability du	lity during the period of			
Sr. No.	Type of Tax	Turnove	r (Rs	s.)	Net 7	Γax Liabilit	ty (Rs.)		
(i)	Integrated Tax								
(ii)	Central Tax								
(iii)	State Tax								
(iv)	UT Tax								
(v)	Cess								
	Total								
	Payment Details								
	Challan Identification Number	Date	e		Amo	unt			
12.	Are you applying for registration as a SEZ	Unit?		Yes \square	No		<u> </u>		
	(i) Select name of SEZ					∇			
	(ii) Approval order number and date of	f order							
	(iii) Designation of approving authority	7							
13.	Are you applying for registration as a SEZ	Develope	er?	Yes \square	No				
	(i) Select name of SEZ Developer					∇			
	(ii) Approval order number and date of	f order							
	(iii) Designation of approving authority	I							
14.	Reason to obtain registration:								
	(i) Crossing the threshold	(7	viii)	Merger /amalg registered pers		of two or m	iore		
	(ii) Inter-State supply	(i	ix)	Input Service l	Distributo	or			
	(iii) Liability to pay tax as recipient of good or services u/s 9(3) or 9(4)	ods (2	x)	Person liable to	o pay tax	u/s 9(5)			
	(iv) Transfer of business which includes change in the ownership of business (if transferee is not a registered entity		xi)	Taxable person e-Commerce p		ng through			
	(v) Death of the proprietor (if the successor is not a registered en	,	xii)	Voluntary Bas	is				
	(vi) De-merger	(2	xiii)	Persons supply behalf of other			rvices on		
	(vii) Change in constitution of business	(2	xiv)	Others (Not co	vered abo	ove) – Spec	eify		

15.	15. Indicate existing registrations wherever applicable												
Registration													
Central Sa	ales Tax l	Registr	ation 1	Numbe	r								
Entry Tax	Registra	tion N	umber	ſ									
Entertainn	nent Tax	Regist	ration	Numbe	er								
Hotel and	Luxury 7	Tax Re	gistra	tion Nu	mber								
Central Ex	xcise Reg	gistratio	on Nu	mber									
Service Ta	ax Regist	tration 1	Numb	er									
Corporate Number	Identify	Numbe	er/For	eign Co	ompany Regis	stration							
					ation Number ation Number								
Importer/I	Exporter	Code N	Numbe	er									
Importer/Exporter Code Number Registration number under Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act													
Registration	on numb	er unde	r Sho	ps and l	Establishmen	t Act							
Temporar	y ID, if a	ny											
Others (Pl	lease spec	cify)											
16. (a	ı) Ado	dress of	f Princ	cipal Pl	ace of Busine	ess							
Building l	No./Flat I	No.					Floor No.	,					
Name of t	he Premi	ises/Bu	ilding				Road/Stre	eet					
City/Town	n/Localit	y/Villa	ge				District						
Taluka/Bl	ock												
State							PIN Code						
Latitude							Longitude	e					
(b) Co	ntact Info	ormatic	on			ı							
Office Em	nail Addr	ess				Office 7	Celephone r	numbei	r STD				
Mobile N	umber					Office F	ax Number	r	STD				
(c) Na	ture of p	remises	8										
Owi	n	I	Leased	l	Rente	ed	Consen	t	Shared	Others (speci	ify)		
(d) Na	ture of b	usiness	activi	ity bein	g carried out	at above	mentioned	premis	es (Please	tick applicable)	1		
Factory / 1	Manufact	turing			Wholesale	Business		Retai	il Business				
Warehous	e/Depot				Bonded Warehouse			Supp	olier of serv	vices			
Office/Sal	le Office				Leasing Bu		Recipient of goods or services						
EOU/ STI	P/ EHTP				Works Con	tract		Expo	ort				
Import					Others (Spe	ecify)							

17. De	etails of Bank A	Accour	nts (s)													
Total nu	mber of Bank	Accou	nts ma	aintain	ed by	the ap	plica	nt for c	onduc	cting b	usines	s				
(Upto 10) Bank Account	ts to be	e repo	rted)												
Details of	Bank Accoun	t 1												 		
Account	Number															
Type of	Account							IFSC	2							
Bank Na	ame															
Branch A	Address	To b	e auto	-popu	lated ((Edit 1	node)									
Note – A	dd more accou	nts														
	ls of the Goods		ied by	the B	usine	ss										
Please sp	pecify top 5 Go	oods														
Sr. No.	Description o	f Good	ds					HSN (Code (Four c	ligit)					
(i)																
(ii)																
(v)																
19. Detai	ls of Services s	upplie	d by t	he Bu	siness											
Please s ₁	pecify top 5 Se	rvices														
Sr. No.	Description of	of Serv	ices					HSN (Code (Four o	ligit)					
(i)																
(ii)																
(v)																
20. Detai	ils of Additiona	al Plac	e(s) of	Busi	ness		-									
Number	of additional p	laces														
Premises	1															
(a)					De	tails o	f Addi	itional	Place	of Bus	siness					
Building	No/Flat No								Floo	r No						
Name of	the Premises/B	Buildin	g						Road	d/Stree	t					
City/Tow	n/Locality/Vill	lage							Dist	rict						
Block/Ta	luka															
State	State								PIN	Code						
Latitude	Latitude								Long	gitude			1	 1		
(b) Conta	ct Information				•								•			
Office Er	nail Address						Offi	ice Tel	ephon	e num	ber	ST	D			
Mobile N			Off	ico Fox	Num	har		СТ	D							

(c) Nature of prem	ises											
Own Leased		Rented			Consent			Shared		Others (specify)		
(d) Nature of busin	ness activity be	ing car	ried out at abo	ove me	ntioned	l premis	es (Please tic	k applic	abl	le)	
Factory / Manufac	turing	□ Wholesale Busine			iess	☐ Retail Bus						
Warehouse/Depot			Bonded Warehous				Supplier of serv			vices		
Office/Sale Office			Leasing B	S		Recipient of goods or services						
EOU/ STP/ EHTP			Works Contract				Export					
Import	Import		Others (sp									
21. Details of Pr Committee of Assoc	coprietor/all Pa			ng Dir	ectors a	and who	ole t	time Dire	ector/Me	mb	pers of 1	Managir
Particulars		First Name			Midd	Middle Name			Last Name			
Name												
Photo					1							
Name of Father												
Date of Birth		DD/MM/YYYY			Gender			<male, female,="" other=""></male,>				
Mobile Number					Email address							
Telephone No. wit	h STD											
Designation /Status			Director Identification Numb									
Permanent Account Number				Aadhaar Number								
Are you a citizen of India?		Yes / No		Pas	Passport No. (in case of foreig			ners)				
Residential Addres	SS											
Building No./Flat I	No.			Flo	or No.							
Name of the Premises/Building				Road/Street								
City/Town/Locality	y/Village			Dis	trict							
Block/Taluka												
State				PIN Code								
Country (in case of only)	f foreigner			ZIP code								

22. Details of Authorised Checkbox for Primate Details of Signatory	ry Autl	•	tory											
Particulars	1	Name	Mide	Middle Name			La	Last Name						
Name														
Photo														
Name of Father														
Date of Birth	DD/N	DD/MM/YYYY Gende			er				<male, female,="" other=""></male,>					
Mobile Number		Email a			ddress									
Telephone No. with STD			ı					ı						
Designation /Status				Director Identification Number (if any)										
Permanent Account Number					Aadhaar Number									
Are you a citizen of India?	Yes /	es / No				Passport No. (in case of foreigners)			of					
Residential Address in Ind	li o													
Building No./Flat No.	iia			Flor	or No.									
Name of the Premises/Buildir					ad/Street									
		IS NO			load/Street									
Block/Taluka														
City/Town/Locality/Village		Dis				strict								
State			Code	Code										
23. Details of Authorise	d Repre	esentative							•		•			
Enrolment ID, if available														
Provide following details,	if enro	lment ID is n	ot ava	ilable										
Permanent Account Number														
Aadhaar, if Permanent Account Number is not available														
	First Name Middl				lle Name Last Na			Name						
Name of Person														
Designation / Status														
Mobile Number														
Email address		<u> </u>	·							•	•			
Telephone No. with STD					FAX I	No. v	vith ST	ď						

24.	State	Spec	ific	Info	rmation

Profession Tax Enrolment Code (EC) No.

Profession Tax Registration Certificate (RC) No.

State Excise License No. and the name of the person in whose name Excise License is held

- (a) Field 1
- (b) Field 2
- (c) .
- (d)
- (e) Field n

25. Document Upload

A customized list of documents required to be uploaded (refer rule 8) as per the field values in the form.

26. Consent

I on behalf of the holder of Aadhaar number <pre-filled based on Aadhaar number provided in the form> give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.

27. Verification (by authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Signature
Name of Authorised Signatory
Designation/Status

List of documents to be uploaded:-

1.	Phot	ographs (wherever specified in the Application Form)
	(a)	Proprietary Concern – Proprietor
	(b)	Partnership Firm / Limited Liability Partnership – Managing/Authorised/Designated Partners (personal details of all partners are to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner are to be submitted)
	(c)	Hindu Undivided Family – Karta
	(d)	Company - Managing Director or the Authorised Person
	(e)	Trust – Managing Trustee
	(f)	Association of Persons or Body of Individuals –Members of Managing Committee (personal details of all members are to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman are to be submitted)
	(g)	Local Authority – Chief Executive Officer or his equivalent
	(h)	Statutory Body - Chief Executive Officer or his equivalent
	(i)	Others – Person in Charge
2.	of C	stitution of Business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Persons or y of Individuals, Local Authority, Statutory Body and Others etc.
3.	Proo	f of Principal Place of Business:
	(a)	For Own premises –
		Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
	(b)	For Rented or Leased premises –
		A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
	(c)	For premises not covered in (a) and (b) above –
		A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
	(d)	For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill.
	(e)	If the principal place of business is located in a Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.
4	Bank	Account Related Proof:
	copy	aned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., R, IFSC and Branch details including code.
5	Auth	norisation Form:-
		each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution e Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:

Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)

I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of (name of registered person)

hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory, (status/designation)>> is hereby authorised, vide resolution no... dated..... (copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.

Signature of the person competent to sign

Name:

Designation/Status:

(Name of the proprietor/Business Entity)

Acceptance as an authorised signatory

I <<(Name of the authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.

Signature of Authorised Signatory

Place: (Name)

Date: Designation/Status:

Instructions for submission of Application for Registration.

- 1. Enter name of person as recorded on Permanent Account Number of the Business. In case of Proprietorship concern, enter name of proprietor against Legal Name and mention Permanent Account Number of the proprietor. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
- 2. Provide E-mail Id and Mobile Number of authorised signatory for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.
- 3. Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.
- 4. The following persons can digitally sign the application for new registration:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others (specify)	Person In charge

- 5. Information in respect of authorised representative is optional. Please select your authorised representative from the list available on the common portal if the authorised representative is enrolled, otherwise provide details of such person.
- 6. State specific information are relevant for the concerned State only.
- 7. Application filed by undermentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No	Type of Applicant	Type of Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate (DSC)- Class-2 and above.
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or any other mode as may be notified

- 8. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled up information.
- 9. Status of the application filed online can be tracked on the common portal by entering Application Reference Number (ARN) indicated on the Acknowledgment.
- 10. No fee is payable for filing application for registration.
- 11. Authorised signatory shall not be a minor.
- 12. Any person having multiple business verticals within a State, requiring a separate registration for any of its business verticals shall need to apply separately in respect of each of the vertical.
- 13. After approval of application, registration certificate shall be made available on the common portal.
- 14. Temporary Reference Number (TRN) will be allotted after successfully furnishing preliminary details in PART –A of the application which can be used for filling up details in PART-B of the application. TRN will be available on the common portal for a period of 15 days.
- 15. Any person who applies for registration under rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of FORM GST REG-01, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

[See rule 8(5)]

Acknowledgment

Application Reference Number (ARN) -								
You have filed the a	application successfully and the particulars of the application are given as under:							
Date of filing	:							
Time of filing								
Goods and Services Tax Identification Number, if available :								
Legal Name	:							
Trade Name (if app	Trade Name (if applicable):							
Form No.	:							
Form Description	:							
Center Jurisdiction	:							
State Jurisdiction	:							
Filed by	:							
Temporary reference	e number (TRN), if any:							
Payment details*	: Challan Identification Number							
	: Date							
	: Amount							
It is a system genera	ated acknowledgement and does not require any signature.							
* Applicable only in case of Casual taxable person and Non Resident taxable person								

[See rule 9(2)]

Reference Number:	Date-
То	
Name of the Applicant:	
Address:	
GSTIN (if available):	
Application Reference No. (ARN):	Date:
Notice for Seeking Additi	ional Information / Clarification / Documents
relating to Application for	r < <registration amendment="" cancellation="">></registration>
	mendment/cancellation>> application filed vide ARN < > Dated – your application and is not satisfied with it for the following reasons:
You are directed to submit your reply by□ *You are hereby directed to appear before the	
If no response is received by the stipula further notice / reminder will be issued in this manner.	tted date, your application is liable for rejection. Please note that no atter.
	Signature
	Name of the Proper Officer:
	Designation:
	Jurisdiction:

* Not applicable for New Registration Application

[See rule 9(2)]

Clarification/additional information/document for << Registration/Amendment/Cancellation>>

1.	Notice details	Reference No. Da						
2.	Application details	Reference No		Date				
3.	GSTIN, if applicable							
4.	Name of Business (Legal)							
5.	Trade name, if any							
6.	Address							
7.	Whether any modification	fields is required	Yes □ No □ (Tick one)					
8.	Additional Information							
9.	List of Documents uploaded							
10.	Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.							
	Place: Date:	Signature of Auti Name Designation/State	horised Signatory					

Note:-

- 1. For new registration, original registration application will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.
- 2. For amendment of registration particulars, the fields intended to be amended will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.

[See rule 9(4)]

Reference Number:	Date-
То	
Name of the Applicant	
Address -	
GSTIN (if available)	
Order of Rejection of Application for <registration amendme<="" td=""><td>nt / Cancellation></td></registration>	nt / Cancellation>
This has reference to your reply filed vide ARN dated The reply has not been found to be satisfactory for the following reasons:	as been examined and the same has
1.	
2.	
3.	
Therefore, your application is rejected in accordance with the provisions of the	Act.
Or	
You have not replied to the notice issued vide reference no dated	
	Signature
	Name Designation
	Jurisdiction

[See rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number: < GSTIN/ UIN >

1.	Legal Name							
2.	Trade Name, if any							
3.	Constitution of Business							
4.	Address of Principal Place of Business							
5.	Date of Liability	DD/MM/ YYYY						
6.	Period of Validity	From	DD/MM/YYYY	То	DD/MM/YYYY			
	(Applicable only in case of Non-Resident taxable person or Casual taxable person)							
7.	Type of Registration							
8.	Particulars of Approving A	uthority						
Centre	•		State					
		Si	gnature					
Name								
Design	nation							
Office								
9. Da	te of issue of Certificate							
Note:	The registration certificate is	required to be pron	ninently displayed at all places	of business	s in the State.			

Annexure A

Details of Additional Places of Business

Goods and Services Tax Identification Number

Legal Name

Trade Name, if any

Total Number of Additional Places of Business in the State

Sr. No. Address

1

2

3

• • •

Annexure B

Goods and Services Tax Identification Number

Legal Name

Trade Name, if any

Details of <Proprietor / Partners / Karta / Managing Director and whole-time Directors / Members of the Managing Committee of Association of Persons / Board of Trustees etc.>

	8 8	
1.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
2.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
3.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
4.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
5.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
6.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
7.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
8.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
9.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
10.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State

[See rule 12(1)]

Application for Registration as Tax Deductor at source (u/s 51) or Tax Collector at source (u/s 52)

State /UT-

District -

I	o	r	1	_	Δ

(i)	Legal Name of the Tax Deductor or Tax Collector(As mentioned in Permanent Account Number/ Tax Deduction and Collection Account Number)								
(ii)	Permanent Account Number								
	(Enter Permanent Account Nu of Individual in case of Proprie			Perma	nent Accou	int Number			
(iii)	Tax Deduction and Collection	Accoun	t Number						
	(Enter Tax Deduction and Co Number is not available)	llection .	Account Num	ber, if	Permanent	Account			
(iv)	Email Address								
(v)	Mobile Number								
Note -	- Information submitted above is	subject	to online verif	icatio	n before pro	oceeding to fi	ill up Pa	rt-B.	
			Part –	В					
1	Trade Name, if any								
2	Constitution of Business (Plea	se Selec	the Appropri	ate)					
(i)	Proprietorship		(ii) Partne	rship					
(iii)	Hindu Undivided Family		(iv) Private	e Limi	ited Compar	ny			
(v)	Public Limited Company		☐ (vi) Society/Club/Trust/Association of Persons						
(vii)	Government Department		☐ (viii) Public Sector Undertaking						
(ix)	Unlimited Company		☐ (x) Limited Liability Partnership						
(xi)	Local Authority		(xii) Statuto	ory Bo	ody				
(xiii)	Foreign Limited Liability Partnership		(xiv) Foreig	n Con	npany Regis	stered (in Ind	ia)		
(xv) (Others (Please specify)								
3	Name of the State				District			_	
4	Jurisdiction -	State				Centre			
		Sector etc.	/Circle/ Ward	l/Cha	rge/Unit				
5	Type of registration				Tax Dedu	ctor O T	ax Colle	ctor	0
6.	Government (Centre / State/Un	nion Ter	ritory)		Center	0	State/	UT (0
7.	Date of liability to deduct tax	/collect	DD/MM/Y	YYYY					
8.	(a) Address of principal p	lace of b	usiness						
Buildi	ing No./Flat No.			Floo	r No.				
Name	e of the Premises/Building			Road	d/Street				

City/Town/Locality/Village			District						
Block/Talı	ıka								
Latitude					Longitude				
State					PIN Code				
(b) Contac	t Information								
Office Em	ail Address			Office Tele	ephone number				
Mobile Number		Office Fax	Number						
(c)	Nature of pos	session o	of premises						
(Own	I	Leased	Rented	Consent	Shared	О	thers(specify)	
9.	Have you obt registrations u	ınder Go	ods and		Yes	No)		
10	If Yes, menti Services Tax Number								
11	11 IEC (Importer Exporter Code), if applicable								
12 Details of DDO (Drawing and Di		ving and Disb	ursing Office	er) / Person respo	onsible for de	educting	g tax/collecting tax		
Particulars	}								
Name			First Name		Middle Name Last Name			lame	
Father's Name									
Photo									
Date of Bi	rth		DD/MM/YYYY		Gender	Gender		<male, female,="" other=""></male,>	
Mobile Nu	ımber			Email address			1		
Telephone	No. with STD								
Designation	on /Status			Director Id	Director Identification Number (if any)				
Permanent	Account Num	ber		Aadhaar N	umber				
Are you a citizen of India? Yes / No		Passport No. (in case of Foreigners)							
Residentia	1 Address					<u> </u>			
Building N	No./Flat No.			Floor No.					
Name of the	ne Premises/Bu	ilding		Locality/V	illage				
State				PIN Code					
	State			r in Code					

13. Details	s of Authorised S	Signatory									
	for Primary Aut	horised Sig	natory								
Details of	Signatory No. 1	1		I		I					
Particular	'S	First Nan	ne	Middle N	ame	Last Nar	ne				
Name											
Photo											
Name of	Father										
Date of B	irth	DD/MM/	YYYY	Gender		<male, f<="" td=""><td>emale, C</td><td>ther></td><td>,</td><td></td><td></td></male,>	emale, C	ther>	,		
Mobile N	umber			Email add	dress						
Telephone No. with STD											
Designati	on /Status				Director Identific Number (if any)	ation					
Permaner Number	nt Account				Aadhaar Number						
Are you a India?	a citizen of	Yes / No			Passport No. (in foreigners)	case of					
Residenti	al Address (Witl	nin the Cou	ıntry)								
Building	No/Flat No				Floor No						
Name of	the Premises/Bu	ilding			Road/Street						
City/Tow	n/Locality/Villa	ge			District				,	•	
State					PIN Code						
Block/Ta	luka										
Note – Ade	d more										
14.	Consent I on behalf of the holder of Aadhar number <pre-filled aadhar="" based="" form="" in="" number="" on="" provided="" the=""> give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.</pre-filled>										
15.					Verification						
					e information giver has been conceale			ue an			
	Place: N Date:	Name of Di	DO/ Per	rson respon	sible for deducting	tax/collect	ing tax/A	Author	rised	_	-

List of documents to be uploaded (not applicable to a department or establishment of the Central Government or State Government or Local Authority or Governmental agencies):-

Proof of Principal Place of Business:

- (a) For Own premises
 - Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
- (b) For Rented or Leased premises
 - A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
- (c) For premises not covered in (a) and (b) above
 - A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
- (d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill.
- (e) If the principal place of business is located in an Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.

Instructions for submission of application for registration as Tax Deductor/ Tax Collector.

- 1. Enter name of Tax Deductor /Tax Collector as recorded on Tax Deduction and Collection Account Number/Permanent Account Number of the Business. Tax Deduction and Collection Account Number/Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
- 2. Provide Email Id and Mobile Number of DDO (Drawing and Disbursing Officer) / Person responsible for deducting tax/collecting tax for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up of the application.
- 3. Person who is acting as DDO/ Person deducting/collecting tax can sign the application.
- 4. The application filed by undermentioned persons shall be signed digitally.

Sr. No.	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above, e-Signature or any other mode as specified or as may be notified.

- 5. All information relating to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled information.
- 6. Status of the application filed online can be tracked on the Common portal.
- 7. No fee is payable for filing application for registration.
- 8. Authorised shall not be a minor.

[See rule 12(3)]

		-	, , ,		
Reference No.					Date:
То					
Name:					
Address:					
Application Reference	e No. (ARN) (Reply)			Date:
Order of C	Cancellation of Regi	istration as Tax I	Deductor at source	or Tax Collector a	at source
This has reference to registration under the		otice issued vide	Reference Number	dated	for cancellation of
☐ - Whereas no re	eply to show cause i	notice has been fil	ed; or		
☐ - Whereas on the	he day fixed for hear	ring you did not a	ppear; or		
				nade at the time of liable to be cancelle	
1.					
2.					
The effective date of c	cancellation of regist	tration is < <dd m<="" td=""><td>M/YYYY >>.</td><td></td><td></td></dd>	M/YYYY >>.		
You are directed to precovered in accordant (This order is also ava	ce with the provisio	ns of the Act and			the amount will be
Head	Integrated tax	Central tax	State tax	UT Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Signature Name Designation Jurisdiction

[See rule 13(1)]

Application for Registration of Non Resident Taxable Person

Part -A

State /UT -

District -

(i)	Legal Name of the Non-Resident Taxable Person
(ii)	Permanent Account Number of the Non-Resident Taxable person, if any
(iii)	Passport number, if Permanent Account Number is not available
(iv)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country
(v)	Name of the Authorised Signatory (as per Permanent Account Number)
(vi)	Permanent Account Number of the Authorised Signatory
(vii)	Email Address of the Authorised Signatory
(viii)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)
Note -	- Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable before

Note.— Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.

Part -B

1.	Details of Authorised Signatory (should be a resident of India)							
	First Name	Middle Nam	ne	Last Name				
	Photo							
	Gender			Male / F	emale	/ Others		
	Designation							
	Date of Birth			DD/MM/YYYY				
	Father's Name							
	Nationality							
	Aadhaar							
	Address of the Authorised	dress of the Authorised signatory.			Address line 1			
				Address	Line 2	2		
				Address line 3				
2.	Period for which	Fı	rom	То				
	registration is required	DD/MM/YYYY		DD/MM/YYYY				
3	Estimated 7		urnover (Rs.)	Estimate	ed Tax	Liability (N	Net) (Rs.)	
	Turnover Details	Intra- State	Inter –State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess

4	Address of Non-Re	sident taxable person in	the Country of Origin					
	(In case of business	entity - Address of the	Office)					
	Address Line 1							
	Address Line 2	Address Line 2						
	Address Line 3							
	Country (Drop Dov	vn)						
	Zip Code							
	E mail Address							
	Telephone Number							
5	Address of Principa	al Place of Business in I	ndia					
	Building No./Flat No.		Floor No.					
	Name of the Premises/Building		Road/Street	Road/Street				
	City/Town/Village/Locality							
	Block/Taluka		- District					
	Latitude	Latitude		Longitude				
	State		PIN Code					
	Mobile Number		Telephone Number					
	E mail Address		Fax Number with STD					
6	Details of Bank Account in India							
	Account Number		Type of account					
	Bank Name	Branch Address		IFSC				
7	Documents Upload	ed		1	1			
	A customized list of	documents required to	be uploaded (refer Instructio	n) as per the field val	lues in the form			
8	Declaration	Declaration						
		I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.						
				Signature				
	Place:		Name of	Authorised Signator	y			
	Date: Designation:							

Note.— Non-Resident taxable person is required to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1. **Proof of Principal Place of Business:** For own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. For Rented or Leased premises -(b) A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. For premises not covered in (a) and (b) above – (c) A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded. 2. Proof of Non-resident taxable person: Scanned copy of the passport of the Non -resident taxable person with VISA details. In case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or it's Permanent Account Number, if available. 3. Bank Account related proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code. 4. **Authorisation Form:-**For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of (name of registered person) hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory, (status/designation)>> is hereby authorised, vide resolution no... dated..... (Copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. Signature of the person competent to sign Name: Designation/Status: (Name of the proprietor/Business Entity) Acceptance as an authorised signatory Acceptance as an authorised signatory I <<(Name of the authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business. Place: Signature of Authorised Signatory Date: Designation/Status:

Instructions for submission of application for registration as Non-Resident Taxable Person.

- 1. Enter Name of the applicant Non-Resident taxable person as recorded on Passport.
- 2. The applicant shall apply at least **Five** days prior to commencement of the business at the common portal.
- 3. The applicant needs to provide Email Id and Mobile Number for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.
- 4. The applicant needs to upload the scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners /Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.
- 5. The application filed by the under-mentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or as may be notified

- 6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, shall be online validated by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all filled up information.
- 7. Status of the application filed online can be tracked on the common portal.
- 8. No fee is payable for filing application for registration.
- 9. Authorised signatory shall be an Indian national and shall not be a minor.

[See rule 14(1)]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Part -A

State /UT -District -(i) Legal Name of the person (ii) Permanent Account Number of the person, if any Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is (iii) identified by the Government of that country (iv) Name of the Authorised Signatory Permanent Account Number of the Authorised Signatory (v) (vi) Email Address of the Authorised Signatory (vii) Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)

Note.— Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.

Part -B

1.	Details of Authorised Sign	Details of Authorised Signatory (shall be resident of India)				
	First Name	Middle Name	Last Name			
	Photo					
	Gender	,	Male / Female / Others			
	Designation					
	Date of Birth		DD/MM/YYYY			
	Father's Name					
	Nationality					
	Aadhaar, if any					
	Address of the Authorised Signatory Date of commencement of the online service in India.		Address line 1			
			Address line 2			
			Address line 3			
2.			DD/MM/YYYY			

3	Uniform Resource Locators (URLs) of the website through which taxable services are provided:			d:			
	1.						
	2.						
	3						
4	Jurisdiction		Center				
5	Details of Bank A	ccount					
	Account Number			Type of account			
	Bank Name		Branch Address			IFSC	
6	Documents Uploa	aded					
	A customized list	of documents r	equired to be up	oloaded (refer Instru	ction) as per ti	he field valı	es in the form
7	Declaration						
	I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.						
	I, hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-assesse online recipient located in taxable territory and deposit the same with Government of India.						
					Signature		
	Place:			Nar	ne of Authoris	sed Signator	y:
	Date: Designation:						

Note.— Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

List of docu	t of documents to be uploaded as evidence are as follows:-					
1.	Proof of Place of Business in India:					
	(a) For Own premises –					
	Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receip Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.					
	(b) For Rented or Leased premises –					
	A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.					
	(c) For premises not covered in (a) and (b) above –					
	A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.					
2.	Proof of:					
	Scanned copy of the passport of the Non -resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/ etc. person who is holding power of attorney with authorisation letter.					
	Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India					
	Scanned copy of License is issued by origin country					
	Scanned copy of Clearance certificate issued by Government of India.					

3	Bank Account Related Proof:				
	Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement				
	Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.				
4	Authorisation Form:-				
	For Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:				
	Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)				
	I (Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that << name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Goods and Service Tax Act, 2017				
	All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.				
	Signatures of the persons who is in charge.				
	S. No. Full Name Designation/Status Signature				
	1.				
	Acceptance as an authorised signatory				
	I <<(Name of authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.				
	Signature of Authorised Signatory				
	Place: (Name)				
	Date: Designation/Status				

[See rule 15(1)]

Application for extension of registration period by casual / non-resident taxable person

1.	GSTIN						
2.	Name (Legal)						
3.	Trade Name, if any						
4.	Address						
5.	Period of Validity (orig	inal)	Froi	n		То	
			DD/MM/	YYYY	D	D/MM/YYY	Y
6.	Period for which extens	ion is requested.	Froi	n		То	
			DD/MM/	YYYY	D	D/MM/YYY	Y
7.	Turnover Details for the extended period (Rs.)		Estimated T (Rs.)	'ax Liabilit	y (Net) fo	r the extend	ed period
	Inter- State	Intra-State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
8.	Payment details		T				
	Date	CIN	BRN		Amount		
Ì							
9.	Declaration - I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.						
					Signature		
Place					Authorised		
Date:	•	Designation / Status:					

Instructions for submission of application for extension of validity

- 1. The application can be filed online before the expiry of the period of validity.
- 2. The application can only be filed when advance payment is made.
- 3. After successful filing, Application Reference Number will be generated which can be used to track the status of the application.

		[See rule 16(1)]				
Reference	e Number -		Date:			
To						
(Name):						
(Address)						
Tempora	ry Registration Nu	ımber				
	Ore	der of Grant of Temporary Registration/	Suo Moto Registration			
therefore		registered on a temporary basis. The parti	are liable for registration under the Act, and culars of the business as ascertained from the			
		Details of person to whom temporary reg	gistration granted			
1.	Name and Legal	Name, if applicable				
2.	Gender		Male/Female/Other			
3.	Father's Name					
4.	Date of Birth		DD/MM/YYYY			
5.	Address of the	Building No./ Flat No.				
	Person	Floor No.				
		Name of Premises/ Building				
		Road/ Street				
		Town/City/Locality/ Village				
		Block / Taluka				
		District				
		State				
		PIN Code				
6.	Permanent Acco	ount Number of the person, if available				
7.	Mobile No.					
8.	Email Address					
9.	Other ID, if any					
		./ Passport No./Driving License No./ther)				
10.	Reasons for tem	porary registration				
11.	Effective date of	f registration / temporary ID				
12.	Registration No.	/ Temporary ID				
(Upload	of Seizure Memo	o / Detention Memo / Any other supporting of	documents)			
< <you< td=""><td>are hereby directe</td><td>d to file application for proper registration v</td><td>vithin 30 days of the issue of this order>></td></you<>	are hereby directe	d to file application for proper registration v	vithin 30 days of the issue of this order>>			
			Signature			
	Place: << Name of the Officer>>:					
Date:			Designation/ Jurisdiction:			
Note.—	Note. — A copy of the order will be sent to the corresponding Central/ State Jurisdictional Authority.					

[See rule 17(1)]

Application/Form for grant of Unique Identity Number to UN Bodies / Embassies / others

State /Union Territory- District PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number of entity, if any (applicable in case of any other person notified)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	Permanent Account Number of Authorised Signatory	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one	e)	UN Body	0	Embassy	0	Other	Person	0
2.	Country								
3.	Notification Details				Notification	ı No.		Date	
4.	Address of the entity in St	ate							
	Building No./Flat No.]	Floor No.				
	Name of the Premises/Build	ding]	Road/Street				
	City/Town/Village]	District				
	Block/Taluka								
	Latitude]	Longitude				
	State]	PIN Code				
	Contact Information								
	Email Address			ŗ	Felephone n	umber			
	Fax Number]	Mobile Num	ıber			
7.	Details of Authorised Signa	atory, if a	applicable						
	Particulars	First 1	Name		Middle Naı	ne		Last Nar	ne
	Name								
	Photo								
	Name of Father								
	Date of Birth	DD/N	MM/YYYY		Gender			<male, f<="" th=""><th>Female, Other></th></male,>	Female, Other>
	Mobile Number				Email addr	ess			
	Telephone No.								
	Designation /Status				Director Number				
	Permanent Account Number				Aadhaar	Numb	er		

	Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)		
	Residential Address				
	Building No./Flat No.		Floor No.		
	Name of the Premises/Building		Road/Street		
	Town/City/Village		District		
	Block/Taluka				
	State		PIN Code		
8	Bank Account Details (add a	more if required)			
	Account Number		Type of Account		
	IFSC		Bank Name		
	Branch Address				
9.	Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evidence (other than UN Body/ Embassy etc.) shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney authorising the applicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant (UN Body/ Embassy etc., shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney authorising the applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and link it along with the Unique				
11.	Identity Number generated a Verification	divolved to respective Off.	coa,, uncounty out.		
11.	I hereby solemnly affirm and of my knowledge and belief a			e and correct to the best	
Place:			,	(Signature)	
Date:				Authorised Person:	
Date:			name or	Aumonsed Person:	

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

• Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.

Or

Place: Date:

(Signature)
Name of Proper Officer:

Designation: Jurisdiction:

- Application shall be filed through common portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the common portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorised by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the "Authorised Signatory details" in the application.

[See rule 19(1)]

Application for Amendment in Registration Particulars (For all types of registered persons)

1. GSTIN	/LIIN			
2. Name	of Business			
3. Type of	fregistration			
4. Ameno	lment summary			
Sr. No	Field Name	Effective (DD/MM/	Date YYYY)	Reasons(s)
5. List of	documents uploaded	•		
(a)				
(b)				
(c)				
6. Declar	ration			
	olemnly affirm and declare that the e and belief and nothing has been co			rein above is true and correct to the best of my
				Signature
Place:				Name of Authorised Signatory
Date:				Designation / Status:
1				

Instructions for submission of application for amendment

- 1. Application for amendment shall be submitted online.
- 2. Changes relating to Name of Business, Principal Place of Business, additional place(s) of business and details of partners or directors, karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for day to day affairs of the business which does not warrant cancellation of registration, are core fields which shall be approved by the Proper Officer after due verification.
- 3. For amendment in Non-Core fields, approval of the Proper Officer is not required.
- 4. Where a change in the constitution of any business results in change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall be required to apply for fresh registration.
- 5. Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal.
- 6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Application Reference Number (ARN) will be generated after successful validation of necessary field.
- 7. Status of the application can be tracked on the common portal.
- 8. No fee is payable for submitting application for amendment.
- 9. Authorised signatory shall not be a minor.

[See rule 19(1)]

Reference Number - << >>	Date – DD/MM/YYYY
То	
(Name)	
(Address)	
Registration Number (GSTIN / UIN)	
Application Reference No. (ARN)	Dated – DD/MM/YYYY
Order of Amer	ndment
This has reference to your application number dated application has been examined and the same has been found to available on your dashboard for download.	
	Signature
	Name
	Designation
	Jurisdiction
Date:	
Place:	

[See rule 20]

Application for Cancellation of Registration

1	GSTIN		
2	Legal name		
3	Trade name, if any		
4	Address of Principal Place of Business		
5	Address for future	Building No./ Flat No.	Floor No.
	correspondence (including email, mobile telephone,	Name of Premises/ Building	Road/ Street
	fax)	City/Town/ Village	District
		Block/Taluka	
		Latitude	Longitude
		State	PIN Code
		Mobile (with country code)	Telephone
		email	Fax Number
6.	Reasons for Cancellation (Select one)	 Discontinuance /Closure of business Ceased to be liable to pay tax Transfer of business on account of amalgamation, merger/demerger, sale, lease or otherwise disposed of etc. Change in constitution of business leading to change in Permanent Account Number Death of Sole Proprietor Others (specify) 	
7.	In case of transfer, n transferred, etc.	nerger of business, particulars of registration o	of entity in which merged, amalgamated,
(i)	Goods and Services Tax Identification Number		
(ii)	(a) Name (Legal)		
	(b) Trade name, if any		

(iii)	Address of	Building No./ Flat	No.			Floor No.				
	Principal Place of Business	Name of Premises	[/] Building			Road/ Street				
		City/Town/ Village	e					District		
		Block/Taluka								
		Latitude						Longitude		
		State						PIN Code		
		Mobile (with coun	try code)					Telephone		
		email						Fax Numb	er	
8.	Date from which regi	stration is to be cano	elled.		<dd i<="" td=""><td>MM/Y</td><td>YYY</td><td>YY></td><td></td><td></td></dd>	MM/Y	YYY	YY>		
9	Particulars of last Ret	urn Filed								
(i)	Tax period									
(ii)	Application Reference	e Number								
(iii)	Date									
10.	Amount of tax payable in respect of inputs/capital goods held in stock on the effective date of cancellation of registration.									
			Value of			Inpu	ıt Ta		x Payable (w er) (Rs.)	hichever is
	Descr	Description		-	1	G ₄ .				C
			(Rs.)		entral Fax	Sta Ta		UT Tax	Integrated Tax	Cess
	Inputs									
	Inputs contained in goods	n semi-finished								
	Inputs contained in	n finished goods								
	Capital Goods/Pla	nt and machinery								
	Total									
11.	Details of tax paid	, if any	l .							
			Payment	fron	n Cash	Ledge	er			
	Sr. No.	Debit Entry No.	Centra Tax	ıl	State '	Tax		UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1.									
	2.									
		Sub-Total								
			Payment	froi	m ITC l	Ledge	r			
	Sr. No.	Debit Entry No.	Centra Tax	ıl	State '	Tax		UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1.									
	2.									
		Sub-Total								
	Total Amount of	Γax Paid								

12. Documents uploaded			
13. Verification			
I/We <> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.			
Signature of Authorised Signatory			
Place Name of the Authorised Signatory			
Date	Designation / Status		

Instructions for filing of Application for Cancellation

- A registered person seeking cancellation of his registration shall electronically submit an application including details of closing stock and liability thereon along with relevant documents, on common portal.
- The following persons shall digitally sign application for cancellation, as applicable:

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

In case of death of sole proprietor, application shall be made by the legal heir / successor manually before the concerned tax authorities. The new entity in which the applicant proposes to amalgamate itself shall register with the tax authority before submission of the application for cancellation. This application shall be made only after that the new entity is registered.

Before applying for cancellation, please file **your tax return due** for the tax period in which the effective date of surrender of registration falls.

- Status of the Application may be tracked on the common portal.
- No fee is payable for filing application for cancellation.
- After submission of application for cancellation of registration, the registered person shall make payment, if not made at the time of this application, and shall furnish final return as provided in the Act.
- The registered person may also update his contact address and update his mobile number and e mail address.

[See rule 22(1)]

Refere	erence No	<< Date >>
То		
Regis	istration Number (GSTIN/UIN)	
(Nam	me)	
(Addr	dress)	
	Show Cause Notice for Canc	ellation of Registration
	ereas on the basis of information which has come to my celled for the following reasons: -	notice, it appears that your registration is liable to be
1		
2		
3		
this no	You are hereby directed to furnish a reply to this notice notice.	e within seven working days from the date of service of
	You are hereby directed to appear before the undersign	ed on DD/MM/YYYY at HH/MM
	ou fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to, the case will be decided ex parte on the basis of available	o appear for personal hearing on the appointed date and
Place:	e:	
Date:	»:	
		Signature
		< Name of the Officer>
		Designation
		Jurisdiction

[See rule 22(2)]

Reply to the Show Cause Notice issued for cancellation for registration

1.	Reference No. of Notice		Date of issue	
2.	GSTIN / UIN			
3.	Name of business (Legal)			
4.	Trade name, if any			
5.	Reply to the notice			
6.	List of documents uploaded			
7.	Verification			
	Iinformation given hereinabove is t been concealed therefrom.	rue and correct to the		ffirm and declare that the ge and belief and nothing has
			Signature o	f Authorised Signatory
	Place:			Name
	Date:		Des	ignation/Status

2.

Form GST REG-19

[See rule 22(3)] Reference No. -Date To Name Address GSTIN / UIN Application Reference No. (ARN) Date **Order for Cancellation of Registration** This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated ----. - Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or - Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or - Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s). 1.

The effective date of cancellation of your registration is << DD/MM/YYYY >>.

Determination of amount payable pursuant to cancellation:

Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows:

The amounts determined as being payable above are without prejudice to any amount that may be found to be payable you on submission of final return furnished by you.

You are required to pay the following amounts on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Place:	Signature
Date:	< Name of the Officer>
	Designation
	Jurisdiction

[See rule 22(4)]

Reference No	Date
То	
Name	
Address	
GSTIN/UIN	
Show Cause Notice No.	Date
Order for dropping the proceedings	for cancellation of registration
This has reference to your reply dated in response to the Upon consideration of your reply and/or submissions made do fregistration stands vacated due to the following reasons:	he notice to show cause notice dated DD/MM/YYYY.
<< text >	>>
Place:	Signature
Date:	< Name of the Officer>
	Designation
	Jurisdiction

[See rule 23(1)]

Application for Revocation of Cancellation of Registration

1.	GSTIN (cancelled)									
2.	Legal Name									
3.	Trade Name, if any									
4.	Address (Principal place of bus	siness)								
5.	Cancellation Order No).		Date -	ate –					
6	Reason for cancellatio	n		·						
7	Details of last return filed									
	Period of Return		Application Reference Number		Date of filir	ng	DD/MM/YYYY			
8	Reasons for revocation of cancellation Reasons in brief. (Detailed reasoning can be filed as an attachment)									
9	Upload Documents									
10.	Verification									
	I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.									
	Signature of Authorised Signatory									
	Full Name									
	(first name, middle, surname)									
	Designation/Status									
	Place									
	Date									

Instructions for submission of application for revocation of cancellation of registration

- A person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply for revocation of cancellation of registration, within thirty days from the date of service of the order of cancellation of registration at the common portal No application for revocation shall be submitted if the registration has been cancelled for the failure to furnish returns unless such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee payable in respect of the said returns.
- Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory submitted as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided
- Status of the application can be tracked on the common portal.
- No fee is payable for filing application for revocation of cancellation.

[See rule 23(2]	
Reference No	Date
_	
То	
GSTIN / UIN	
(Name of Taxpayer)	
(Address)	
Application Reference No. (ARN)	Date
Order for revocation of cancellation o	f registration
This has reference to your application dated DD/MM/YYYY for revapplication has been examined and the same has been found to be in ord	•
	Signature
	Name of Proper Officer
Place:	Designation
Date:	Jurisdiction

[See rule 23(3)]

Refe	rence Number :	Date
То		
Nan	ne of the Applicant/ Taxpayer	
Addr	ress of the Applicant/Taxpayer	
GST	IN	
Appl	ication Reference No. (ARN):	Dated
	Show Cause Notice for rejection of application fo	r revocation of cancellation of registration
Your 1. 2.	has reference to your application dated DD/MM/YYYY application has been examined and the same is liable to be	
3.		
 □ this r	You are hereby directed to furnish a reply to this notice notice.	within seven working days from the date of service of
	You are hereby directed to appear before the undersigned	ed on DD/MM/YYYY at HH/MM.
	u fail to furnish a reply within the stipulated day or you faime, the case will be decided ex parte on the basis of avail	
		Signature
		Name of the Proper Officer
		•
		Designation
		Jurisdiction

[See rule 23(3)]

Reply to the notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration

1.	Reference No. of Notice	Date	
2.	Application Reference No. (ARN)	Date	
3.	GSTIN, if applicable		
4.	Information/reasons		
5.	List of documents filed		
6.	Verification I		orised Signatory
	Place Date	Designation	on/Status

[See rule 24(1)]

Certificate of Provisional Registration

1.	Provisio	nal ID			
2.	Permane Number	ent Account			
3.	Legal N	ame			
4.	Trade N	ame			
5.	Registra	tion Details u	nder Existing Law		
	Act			Registration Numb	per
(a)					
(b)					
(c)					
Date		<date cre<="" of="" td=""><td>eation of Certificate></td><td>Place</td><td><state></state></td></date>	eation of Certificate>	Place	<state></state>

This is a Certificate of Provisional Registration issued under the provisions of the Act.

[See rule 24(2)]

		Application for Enrol	ment of Existing Taxpayer	
Taxpay	ver Details			
1. Pr	ovisional ID			
	egal Name (As per rmanent Account Number)			
	egal Name (As per nte/Center)			
4. Tr	rade Name, if any			
	ermanent Account amber of the Business			
6. Co	onstitution			
7. Sta	ate			
	ector, Circle, Ward, etc. as oplicable			
7B. Ce	nter Jurisdiction			
	eason of liability to obtain	Registration under ear	lier law	
9. Ex	isting Registrations			
Sr. No.	Type of Registration		Registration Number	Date of Registration
1	TIN Under Value Added	Tax		
2	Central Sales Tax Registr	ation Number		
3	Entry Tax Registration N	umber		
4	Entertainment Tax Regist	ration Number		
5	Hotel And Luxury Tax Ro	egistration Number		
6	Central Excise Registration	on Number		
7	Service Tax Registration	Number		
8	Corporate Identify Numb Registration	er/Foreign Company		
9	Limited Liability Partners Number/Foreign Limited Identification Number			
10	Import/Exporter Code Nu	ımber		
11	Registration Under Duty Medicinal And Toiletry A			
12	Others (Please specify)			

10. Details of	Principal Pla	ce of E	Business							
Building No.	Flat No.					Floor No				
Name of the F	Premises/Build	ling				Road/Street				
Locality/Villa	ge					District				
State						PIN Code				
Latitude						Longitude				
Contact Inform	nation									
Office Email	Address					Office-Telephone	Numl	oer		
Mobile Numb	er					Office Fax No				
10A. Nature o	f Possession of	of Pren	nises	(Own; I	Lease	d; Rented; Consent; S	Share	d)		
10B. Nature o	f Business Ac	tivities	s being carrie	d out		_				
Factory / Man	ufacturing	0	Wholesale	Busines	s O	Retail Business	0	Ware	ehouse/Depot	0
Bonded Ware	house	0	Service Pro	vision	0	Office/Sale Office	0	Leasi	ing Business	0
Service Recip	ient	0	EOU/ STP/	EHTP	0	SEZ	0	Input (ISD)	Service Distributor	0
Works Contra	ct	0	Others (Spe	ecify)	0					
11. Details of	Additional Plant	aces of	Business							
Building No/F	Flat No					Floor No				
Name of the F	Premises/Build	ling				Road/Street				
Locality/Villa	ge					District				
State						PIN Code				
Latitude (Opti	ional)					Longitude(Optional)				
Contact Inform	nation									
Office Email	Address				Offi	ce Telephone Numb	er			
Mobile Numb	er				Offi	ce Fax No				
11A.Nature of	f Possession o	f Prem	nises	(Own;	Leas	ed; Rented; Consent	; Shai	red)		
11B.Nature of	Business Act	ivities	being carried	dout						
Factory / Man	ufacturing	0	Wholesale	Busines	s O	Retail Business	0	Ware	ehouse/Depot	0
Bonded Ware	house	0	Service Pro	vision	0	Office/Sale Office	Office/Sale Office O Le		Leasing Business	
Service Recip	ient	0	EOU/ STP/ EHTP O					Input Service Distributor (ISD)		0
Works Contra	Contract O Others (Specify) O			0						
Add More	Add More									
12. Details of	Goods/ Service	ces su	pplied by the	Busines	SS					
Sr. No. Description of Goods						I	ISN Code			

Sr. No.	Description of Serv	vices							HSN C	ode	
13. Total Ba	ank Accounts mainta	ined by	you for cond	ucting	Business			•			
Sr. No.	Account Number	Type	of Account	IFSC	C	Baı	nk Nam	e	Bran	ich A	Address
	14. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.						ers of Managing				
Name		<first< td=""><td>t Name></td><td><mi< td=""><td>ddle Name></td><td>></td><td></td><td><last< td=""><td>Name</td><td>></td><td>DI .</td></last<></td></mi<></td></first<>	t Name>	<mi< td=""><td>ddle Name></td><td>></td><td></td><td><last< td=""><td>Name</td><td>></td><td>DI .</td></last<></td></mi<>	ddle Name>	>		<last< td=""><td>Name</td><td>></td><td>DI .</td></last<>	Name	>	DI .
Name of Fath	er/Husband	<first< td=""><td>t Name></td><td><mi< td=""><td>ddle Name></td><td>></td><td></td><td><last< td=""><td>Name:</td><td>></td><td><photo></photo></td></last<></td></mi<></td></first<>	t Name>	<mi< td=""><td>ddle Name></td><td>></td><td></td><td><last< td=""><td>Name:</td><td>></td><td><photo></photo></td></last<></td></mi<>	ddle Name>	>		<last< td=""><td>Name:</td><td>></td><td><photo></photo></td></last<>	Name:	>	<photo></photo>
Date of Birth	DD/ MM/ YYYY	Gend	er			<1	Male, Fe	emale, (Other>		
Mobile Numb	per			Ema	il Address						
Telephone Nu	ımber										
Identity Inform	mation						Ц				•
Designation		Direc	tor Identificati	ion N	umber						
Permanent Account Number		Aadh	aar Number								
Are you a citi	zen of India?		<yes no=""></yes>	Passport Number							
Residential A	ddress		•					•			
Building No/I	Flat No				Floor No						
Name of the I	Premises/Building			Road/Street							
Locality/Villa	ıge				District						
State				PIN Code							
15. Details	of Primary Authorise	d Signa	atory								
Name		<first< td=""><td>t Name></td><td colspan="2"><middle name=""></middle></td><td><last< td=""><td>Name</td><td>></td><td>_</td></last<></td></first<>	t Name>	<middle name=""></middle>		<last< td=""><td>Name</td><td>></td><td>_</td></last<>	Name	>	_		
Name of Fath	er/Husband	<first< td=""><td>t Name></td><td><n< td=""><td colspan="2">Middle Name> <</td><td colspan="2"><last name=""></last></td><td>(Dhoto)</td></n<></td></first<>	t Name>	<n< td=""><td colspan="2">Middle Name> <</td><td colspan="2"><last name=""></last></td><td>(Dhoto)</td></n<>	Middle Name> <		<last name=""></last>		(Dhoto)		
Date of Birth		DD/	MM / YYYY	Ge	nder		<male,< td=""><td colspan="2">Female, Other></td><td>r></td><td><photo></photo></td></male,<>	Female, Other>		r>	<photo></photo>
Mobile Numb	er			Ema	il Address						
Telephone Nu	ımber										
Identity Inform	mation										
Designation				Dire	ctor Identifi	cati	on Num	ber			
Permanent Ac	Permanent Account Number			Aad	haar Numbe	er					
Are you a citizen of India? <yes no=""></yes>		/No>		Passport N	Vum	ıber					
Residential A	ddress										
Building No/Flat No				Floor No							
Name of the I	Premises/Building				Road/Stre	et					
Locality/Villa	ige				District						
State					PIN Code						
Add More											

List of Documents Uploaded

A customized list of documents required to be uploaded as per the field values in the form should be auto-populated with provision to upload relevant document against each entry in the list. (Refer instruction)

16. Aadhaar Verification

I on behalf of the holders of Aadhaar numbers provided in the form, give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.

17. Declaration

I, hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Digital Signature/E-Sign

Name of the Authorised Signatory	Place	
Designation of Authorised Signatory	Date	

Instructions for filing of Application for enrolment

- 1. Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enroll on the common portal by validating his e-mail address and mobile number.
- 2. Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in **FORM GST REG-25**, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:
- Authorisation Form:-

For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:

Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)

I ---

(Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc)

1. << Name of the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc>>

2.

3.

hereby solemnly affirm and declare that << name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.

Signatures of the persons who are Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

S. No. Full Name Designation/Status Signature

1.

2.

Acceptance as an authorised signatory

I <<(Name of the authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.

Date Signature of Authorised Signatory
Place Designation/Status

Instructions for filing online form

- Enter your Provisional ID and password as provided by the State/Commercial Tax/Central Excise/Service Tax Department for log in on the GST Portal.
- Correct Email address and Mobile number of the Primary Authorised Signatory are to be provided. The Email address and Mobile Number would be filled as contact information of the Primary Authorised Signatory.
- E mail and Mobile number to be verified by separate One Time Passwords. Taxpayer shall change his user id and password after first login.
- Taxpayer shall require to fill the information required in the application form related details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees, Principal Place of Business and details in respect of Authorised signatories.
- Information related to additional place of business, Bank account, commodity in respect of goods and services dealt in (top five) are also required to be filled.
- Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case he/she declares a person as Authorised Signatory as per Annexure specified. Documents required to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Photographs wherever specified in the Application Form (maximum 10)							
	Proprietary Concern – Proprietor							
	Partnership Firm / Limited Liability Partnership – Managing/ Authorised							
	Partners (personal details of all partners is to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner is to be submitted)							
	Hindu Undivided Family – Karta							
	Company – Managing Director or the Authorised Person							
	Trust – Managing Trustee							
	Association of Person or Body of Individual –Members of Managing Committee (personal details of all members is to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman is to be submitted)							
	Local Body - Chief Executive Officer or his equivalent							
	Statutory Body - Chief Executive Officer or his equivalent							
	Others – Person in Charge							
2.	Constitution of business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Person or Body of Individual, Local Authority, Statutory Body and Others etc.							
3.	Proof of Principal/Additional Place of Business:							
	(a) For Own premises –							
	Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.							
	(b) For Rented or Leased premises –							
	A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.							
	(c) For premises not covered in (a) and (b) above –							
	A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.							
4	Bank Account Related Proof:							
	Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement							
	Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.							
5	For each Authorised Signatory: Letter of Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to that effect as specified.							

After submitting information electronic signature shall be required. Following person can electronically sign
application for enrolment:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

• Application is required to be mandatorily digitally signed as per following:-

Sl. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) Class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature

Note.— 1. Applicant shall require to register their DSC on common portal.

2. *e-Signature facility will be available on the common portal for Aadhar holders.*

All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number, Limited Liability Partnership Identification Number shall be online validated by the system and Acknowledgment Reference Number will be generated after successful validation of all the filled up information.

Status of the online filed Application can be tracked on the common portal.

- 1. Authorised signatory should not be minor.
- 2. No fee is applicable for filing application for enrolment.

Acknowledgement

 $Enrolment\ Application\ -\ Form\ GST-\ has\ been\ filed\ against\ Application\ Reference\ Number\ (ARN)<....>.$

Form Number : <.....>

Form Description : <Application for Enrolment of Existing Taxpayers>

Date of Filing : <DD/MM/YYYY>
Taxpayer Trade Name : <Trade Name>

Taxpayer Legal Name : <Legal Name as shared by State/Center>

Provisional ID Number : <Provisional ID Number>

It is a system generated acknowledgement and does not require any signature

[See rule – 24(3)]

Reference No.	< <date-dd mm="" yyyy="">></date-dd>
То	
Provisional ID	
Name	
Address	
Application Reference Number (ARN) < >	Dated <dd mm="" yyyy=""></dd>
Show Cause Notice for ca	ancellation of provisional registration
This has reference to your application dated been found to be satisfactory for the following reasons:- 1 2	The application has been examined and the same has not
You are hereby directed to show cause as to v cancelled.	why the provisional registration granted to you shall not be
	Signature
	Name of the Proper Officer
Date Place	Designation Jurisdiction

[See rule 24(3)]

Reference No				<< Date-DI	D/MM/YYYY>>
To Name Address					
GSTIN / Provisional ID)				
Application Reference					DD/MM/YYYY
			provisional registr		
This has reference to yo		-		se dated	
	ply to notice to sho				
☐ - Whereas the un	 Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of t opinion that your provisional registration is liable to be cancelled for following reason(s). 				ing, and is of the
1.					
2.					
Determination of amo			-	_	
Accordingly, the amount You are required to pay		=			l ha maaayamad in
accordance with the pro				which the amount wh	i be recovered in
Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					
				Signature	
				< Name of the Off	icer>
Place:				Designation	
Date:				Jurisdiction	

[See rule 24(4)]

Application for cancellation of provisional registration ${\bf Part} \; {\bf A}$

(i) Provisional ID					
(ii) Email ID					
(iii) Mobile Number					
		Pai	rt B		
Legal Name (As per Permanent Account Number)					
2. Address for correspondence					
Building No./ Flat No.	0.		Floor No.		
Name of Premises/ Building			Road/ Street		
City/Town/ Village/Locality			District		
Block/Taluka					
State	;		PIN		
3. Reason for Cancellation					
4. Have you issued any tax invoice during GST regime?			? YES □ N	1O	
 Declaration I <name authorised="" karta="" of="" proprietor="" signatory="" the="">, being <designation> of <legal ()="" name=""> do hereby declare that I am not liable to registration under the provisions of the Act.</legal></designation></name> Verification I <> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed. 					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		nt Account Number		
Signature of Authorised Signatory			rised Signatory		
Full Name					
Designation / Status					
Place					
Date			DD/MM/YYYY		

[See rule 25]

Form for Field Visit Report

Center Jurisdiction (Ward/Circle/Zone)

	Name o	of the (Officer:-	<< to b	e prefilled>>
--	--------	----------	-----------	---------	---------------

Date of Submission of Report:-

Name of the taxable person

GSTIN/UIN -

Task Assigned by:- < Name of the Authority- to be prefilled>

Date and Time of Assignment of task:- < System date and time>

Sr. No.	Particulars	Input
1.	Date of Visit	
2.	Time of Visit	
3.	Location details :	
	Latitude	Longitude
	North – Bounded By	South – Bounded By
	West – Bounded By	East – Bounded By
4.	Whether address is same as mentioned in application.	Y/N
5.	Particulars of the person available at the time of visit	
(i)	Name	
(ii)	Father's Name	
(iii)	Residential Address	
(iv)	Mobile Number	
(v)	Designation / Status	
(vi)	Relationship with taxable person, if applicable.	
6.	Functioning status of the business	Functioning - Y / N

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 22, 2017 (JYST. 31, 1939 SAKA)

2040

7.	Details of the premises	
8.	Open Space Area (in sq m.) - (approx.)	
9.	Covered Space Area (in sq m.) - (approx.)	
10.	Floor on which business premises located	
11.	Documents verified	Yes/No
12.	Upload photograph of the place with the person is conducted.	who is present at the place where site verification
13.	Comments (not more than < 1000 characters>	
		Signature
		Name of the Officer:
	Place:	Designation:
	Date:	Jurisdiction:

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department